



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण Airports Economic Regulatory Authority of India

भारतीय प्रमुख हवाई अड्डे Indian Major Airports



















भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

1. प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

2. प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का प्रोफाइल

(क) श्री बलविंदर सिंह भुल्लर, अध्यक्ष



श्री बलविंदर सिंह भुल्लर ने 8 जुलाई, 2019 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

श्री भुल्तर, अमृतसर, पंजाब से हैं और उनका शैक्षिक कैरियरअसाधारण है। बी.एससी (ऑनर्स) और कृषि विज्ञान में एम.एस.सी करने के पश्चात, वे 1986 में उत्तर प्रदेश काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में आईएएस अधिकारी के रूप मेंश्री भुल्लर ने प्रशासन, उद्योग, वित्त, विद्युत, शहरी विकास, परिवहन, नागर विमानन आदि विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट-

गाजियाबाद और कानपुर नगर; नगरपालिका आयुक्त, वाराणसी; उत्तर प्रदेश वित्त निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक; सिचव, सिंचाई और जल संसाधन; परिवहन एवं वित्त विभागों के प्रधान सिचव; चतुर्थ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य आदि के रूप में काम किया। भारत सरकार में उन्होंने 13वें केंद्रीय वित्त आयोग में संयुक्त सिचव; वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सिचव; नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सिचव और अपर सिचव के रूप में और अंत में मई, 2019 में सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) के रूप में कार्य किया।

(ख) श्री शिरीष कृष्ण व्यवहारे, सदस्य



श्री शिरीष कृष्ण व्यवहारे ने 01 नवम्बर, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के सदस्य के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने 1983 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी से सिविल इंजीनियरी में बी. टेक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही सितम्बर, 2011 में प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव द्वारा संचालित 30 दिवसीय उच्च प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रारंभ में श्री व्यवहारे ने गैमन इंडिया लिमिटेड में चार वर्ष तक कार्य किया। 1989 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में कार्य ग्रहणकरने के बाद वे कार्यपालक निदेशक, अभियांत्रिकी के पद पर आसीन हुए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में श्री व्यवहारे ने इलाहाबाद स्थित नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, उत्कृष्टता केन्द्र का कार्य किया। भोपाल और इंदौर हवाईअइडों पर नए विस्तार योग्यमॉइयूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का कार्य संपादित किया। भोपाल हवाईअइडे और इंदौर हवाईअइडे को इस्पात विकास एवं संवृद्धि संस्थान द्वारा आयोजित संरचनात्मक इस्पात डिजाइन और निर्माण व्यवसायी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 2010-11 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय रैंक प्रदान की गई। श्री व्यवहारे को इंदौर टर्मिनल भवन के लिए इकोनॉमिक रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडद्वारा आयोजित "सुप्रीम इंजीनियर (SUPREME ENGINEER)" पुरस्कार 2012 और भोपाल टर्मिनल भवन के लिए इंडियन बिल्डिंग्स कॉग्रेस पुरस्कार 'आईबीसी ट्रॉफी-2011'प्रदान किया गया।

श्री व्यवहारे को इंजीनियरी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 सितम्बर, 2012 को भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से 'श्री विश्वेश्वरैया पुरस्कार' प्रदान किया गया।

(ग) श्रीधर्मेन्द्र कुमार कामरा (आईएपी), सदस्य



श्री कामरा ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के साथ-साथ निर्माण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एमबीए किया है। उन्हें इकाओ के सहयोग से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आईएपी (अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रबंधन प्रोफेशनल) का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने विमानपत्तन प्रबंधन व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम (एएमपीएपी) पूर्ण किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा संचालित "सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धित से हवाईअइडा विकास", प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) और फ्रेंकफर्ट इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, जर्मनी द्वारा संचालित वरिष्ठ प्रबंधन विकास संबंधी उच्च प्रबंधन कार्यक्रम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए।

पांच (05) वर्ष प्राइवेट सेक्टर और चार (4) वर्ष तक एनडीडीबी में सेवा करने के बाद श्री कामरा ने 1994 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 35+20 गैर-मैट्रो हवाईअइडा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। परियोजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने का व्यापक अनुभव होने के कारण उन्हें निर्माण उद्योग में कई पुरस्कार प्रदान किए गए। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअइडा और जम्मू हवाईअइडा टर्मिनल (दोनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह- IV स्टार का दर्जा दिया गया) की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के बाद उन्हें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2016 (सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना) प्रदान किया गया। साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्कॉच बीएसई ऑर्डर ऑफ मेरिट और स्कोटेक बीएसई पुरस्कार, नेटवर्क 18 और हनीवेल द्वारा बिल्ट इन्वायरन्मेंट 2014-15 में उत्कृष्टता के लिए आईबीसी पुरस्कार एवं स्मॉर्ट बिल्डिंग एवाई 2016 प्रदान किए गए।





भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका निम्नलिखित योगदान रहा:


- (क) 2017-2019 तक पूर्वोतर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में संपूर्ण क्षेत्र का कायापलट करने पर उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा "अध्यक्ष का उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018" प्रदान किया गया। तत्पश्चात उन्हें लोक सेवक श्रेणी में सीआईडीसी-2019 विश्वकर्मा पुरस्कार से भी नवाजा गया।
- (ख) कार्यपालक निदेशक (जेवीसी और टैरिफ) के रूप में उन्होंने 83 गैर-प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ में संशोधन करने (2019-20), पूरे भारत के हवाई अड्डों के लिए सीएनएस प्रभारों में संशोधन करने तथा प्रमुख हवाई अड्डों के टैरिफ निर्धारण की जिम्मेदारी वहन की।
- (ग) क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के रूप में उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरसीएस हवाईअड्डों के विकास के लिए माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा दिनांक 22.11.2021 को उन्हें "चेंपियन ऑफ उड़ान" पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या और 8 आरसीएस हवाईअड्डों सहित उत्तरी क्षेत्र के 35 हवाईअड्डों के अतिरिक्त कुशीनगर, गोरखपुर, देहरादून हवाईअड्डों के विकास का उत्तरदायित्व संभाला।

श्री कामरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हरियाणा एवं पंजाब सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल)तथा लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) एवं बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के बोर्ड में बोर्ड सदस्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया।



3. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:



ऐरा के स्टाफ में विमानन और वित्त क्षेत्र में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं। वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के आखिर में ऐरा में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सहित कुल 21 स्टाफ सदस्य थे।

4. विनियम का दायरा

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना 2009 में प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करने तथा निष्पादन मानकों को मॉनीटर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गई थी। प्राधिकरण ने हवाईअड्डा प्रचालकों एवं कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए 2010-11 में अपने विनियामक सिद्धांत और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया।

4.1 अधिनियम में निर्धारित किए अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- (क) वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना
- (ख) प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना

6





- (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना।
- (घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा प्रमुख हवाईअड्डों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि की गई है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा प्रमुख हवाईअड्डों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि की गई है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

- "1. (1) इस अधिनियम को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) यह उस तारीख को लागू होगा जो केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।
- 2. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 में खंड (i) में "अन्य कोई भी हवाईअड्डा" शब्द के बाद "या हवाईअड्डों का समूह" शब्द सम्मिलित किए जाएंगे।"
- 2. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित 27 प्रमुख हवाईअड्डे हैं:-
 - 1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली
 - 2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, म्म्बई
 - 3. कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बैंगल्रू
 - 4. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
 - 5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि
 - 6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
 - 7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,चेन्नै
 - 8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता
 - 9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद
 - 10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतप्रम
 - 11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ
 - 12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
 - 13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी
 - 14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड
 - 15. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा
 - 16. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे
 - 17. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
 - 18. गुरू राम दासजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर
 - 19. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी

- 20. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भ्वनेश्वर
- 21. स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायप्र
- 22. तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूचिरापल्ली
- 23. मंगलीर अंतरराष्ट्रीयहवाईअड्डा, मंगलुरू
- 24. कन्नुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नुर
- 25. शेख उल अलाम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर
- 26. शिडीं अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिडीं
- 27. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, (मोपा) गोवा

5. प्राधिकरण द्वारा जारी टैरिफ आदेश

01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अविध में ऐरा ने हवाईअड्डों और वैमानिक सेवाओं के विनियमन के लिए अपने दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए:-

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
हवाईअः	ड्डा टैरिफ आदेश		
01	आदेश संख्या 07/2021-22	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़ (आईएक्ससी), में द्वितीय नियंत्रण अविध (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	20.08.2021
02	आदेश संख्या 08/2021-22	कोचीनअंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि में तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	24.08.2021
03	आदेश संख्या 11/2021-22	कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बैंगलुरू(बीएलआर) में तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021–31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	28.08.2021
	आदेश संख्या 11/2021-22 का परिशिष्ट	कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू(बीएलआर) में तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	15.09.2021
04	आदेश संख्या 12/2021-22	राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एचवाईडी) शमशाबाद, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 – 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	31.08.2021
05	आदेश संख्या 38/2021-22	चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने (एमएए) में तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफका निर्धारण	04.02.2022
06	आदेश संख्या 39/2021-22	कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(सीसीजे) के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	11.02.2022

8





क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
07	आदेश संख्या 43/2021-22	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता (सीसीयू), में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	15.03.2022
08	आदेश संख्या 45/2021-22	पुणेअंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (पीएनक्यू) के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	17.03.2022
स्वतं	त्र सेवा प्रदाता (फ्यूल	फार्म एवं आईटीपी सेवाएं)	
09	आदेश संख्या 06/2021-22	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में इंटोप्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिएवैमानिक टैरिफ का निर्धारण	13.08.2021
10	आदेश संख्या 14/2021-22	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (सीएसएमआई) हवाईअड्डा, मुम्बई में इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अविध के लिए (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025- 26) के लिएवैमानिक टैरिफ कानिर्धारण	03.09.2021
	आदेश संख्या 14/2021-22 का शुद्धि पत्र	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अइडा (सीएसएमआईए), मुम्बई में इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिएतृतीय नियंत्रण अविध(वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिएइंटो प्लेन सेवा प्रभारों का निर्धारण	26.11.2021
11	आदेश संख्या 15/2021-22	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(केआईए), बैंगलौर में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ कानिर्धारण	10.09.2021
	आदेश संख्या 15/2021-22 का शुद्धि पत्र	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) के लिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए इंटो प्लेन सेवा प्रभारों का निर्धारण	26.11.2021
12	आदेश संख्या 16/2021-22	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोरमें तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	15.09.2021

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
13	आदेश संख्या 20/2021-22	मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एमएएफएफएफएल) के संबंध मेंसीएसएमआई हवाईअड्डा, मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अविध (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभारों का निर्धारण	24.09.2021
14	आदेश संख्या 23/2021-22	डेल्ही एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीएएफएफपीएल) के संबंध में आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में ईंधन अवसंरचना प्रभारों का निर्धारण (01.04.2021 से 31.03.2026)	07.10.2021
15	आदेश संख्या 30/2021-22	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीयहवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021-31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभारों (एफआईसी) का निर्धारण	07.12.2021
16	आदेश संख्या 44/2021-22	बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रणअविध (01.04.2018 से 31.03.2023) के लिए ईंधन अवसंरचना शुल्क का निर्धारण	15.03.2022
स्वतंत्र	सेवा प्रदाता (ग्राउंड हैं:	इलिंग सेवाएं)	
17	आदेश संख्या 09/2021-22	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअइडा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021- 22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफका निर्धारण	24.08.2021
18	आदेश संख्या 10/2021-22	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्टसर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ का निर्धारण	27.08.2021
19	आदेश संख्या 29/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेडद्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	07.12.2021
20	आदेश संख्या 31/2021-22	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेडद्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबादमेंग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिएतृतीय नियंत्रण अविध(वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	23.12.2021





क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
21	आदेश संख्या 35/2021-22	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	20.01.2022
22	आदेश संख्या 36/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड केसंबंध में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबादमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिएतृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	28.01.2022
23	आदेश संख्या 41/2021-22	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (कोंकण) प्राइवेट लिमिटेड के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवामेंग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अविध(वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	21.02.2022
24	आदेश संख्या 48/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरूमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	17.03.2022
25	आदेश संख्या 50/2021-22	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए द्वितीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	28.03.2022
आईएस	ापी (कार्गी)		
26	आदेश संख्या 27/2021-22	मैसर्स गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसईसी) के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभारोंका निर्धारण	16.11.2021
अवधि	बढ़ाने के लिए अंति	रेम व्यवस्था	
27	आदेश संख्या 01/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालक, अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआई), अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग (एयर साइड और सिटी साइड दोनों पर आयात एवं निर्यात) से संबंधित वैमानिक सेवाओं के लिए 01.07.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश।	23.06.2021

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
28	आदेश संख्या 02/2021-22	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएचआईएएल), चंडीगढ़ के लिए कार्गो प्रचालनों के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ (कार्गो टैरिफ सहित) का निर्धारण होने तक द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन	24.06.2021
29	आदेश संख्या 03/2021-22	मैसर्स बर्डवर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाईअड्डा, लखनऊ में 01.07.2021 से 31.12.2021 तक छ: माह की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का तदर्थ अनुमोदन	30.06.2021
30	आदेश संख्या 04/2021-22	एसपीवी मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में 19.07.2021 से 31.12.2021 तक के दौरान प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का तदर्थ अनुमोदन	19.07.2021
31	आदेश संख्या 05/2021-22	एसपीवी मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में 01.08.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का तदर्थ अन्मोदन	29.07.2021
32	आदेश संख्या 13/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई), हवाईअड्डा, लखनऊ में 01.09.2021 से 31.12.2021 तक चार माह की अविध के लिए ग्राउंड हैंडिलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में	01.09.2021
33	आदेश संख्या 17/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में-उनकी संबंधित नियंत्रण अविध के लिए मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	15.09.2021
34	आदेश संख्या 18/2021-22	कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 67/2020-21 के मामले में-उनकी संबंधित नियंत्रण अवधिके लिए मौजूदा टैरिफ 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	15.09.2021





क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
	आदेश संख्या 18/2021-22 का संशोधन	कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाएं उनकी संबंधित नियंत्रण अविध के लिए मौजूदा टैरिफ 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	01.10.2022
35	आदेश संख्या 19/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालक एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में -मौजूदा टैरिफ तृतीय नियंत्रण अविध के लिए 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था	22.09.2021
36	आदेश संख्या 21/2021-22	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे)प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.10.2021 से 31.10.2021 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में	01.10.2021
37	आदेश संख्या 22/2021-22	जयपुर (जेआईए), त्रिवेन्द्रम (टीवीएम) और गुवाहाटी (जीएयू) स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में मौजूदा टैरिफ वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में-नए प्रचालक मैसर्स अडानी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करना।	06.10.2021
38	आदेश संख्या 24/2021-22	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	14.10.2021
39	आदेश संख्या 25/2021-22	मैसर्स एएआई कार्गों लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) द्वारा चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में सीटीओ प्रचालनों से संबंधित वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में 25.10.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश	25.10.2021
40	आदेश संख्या 26/2021-22	एसपीवीमैसर्स इंडोथाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअइडा,कोलकाता में 01.12.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफका निर्धारण	15.11.2021
41	आदेश संख्या 28/2021-22	एसपीवी मैसर्स जीएसएईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 18.11.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ	18.11.2021

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
42	आदेश संख्या 32/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल) द्वारा एसवीपीआईए, अहमदाबाद में 01.08.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफसे संबंधित दिनांक 29.07.2021 के आदेश संख्या 05/2021-22 के मामले में - तदर्थ टैरिफ आदेश 28.02.2022 तक बढ़ाना	31.12.2021
43	आदेश संख्या 33/2021-22	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली)प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोहाली में 19.07.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफसे संबंधित दिनांक 19.07.2021 के आदेश संख्या 04/2021-22 के मामले में - तदर्थ टैरिफ आदेश 31.03.2022 तक बढ़ाना	31.12.2021
44	आदेश संख्या 34/2021-22	मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयपुरअंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 16.01.2022 से 31.03.2022 की तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफका निर्धारण	14.01.2022
45	आदेश संख्या 37/2021-22	मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लोकप्रियगोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी में 01.02.2022 से 31.03.2022 तक की अविध के लिएप्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.02.2022
46	आदेश संख्या 40/2021-22	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडिलंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में 15.02.2022 से 31.03.2022 तक की अविध के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडिलंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	11.02.2022
47	आदेश संख्या 42/2021-22	दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 17/2021-22 और दिनांक 06.10.2021 के आदेश संख्या 22/2021-22 के मामले में - मौजूदा टैरिफ 31.03.2022 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था	14.03.2022
48	आदेश संख्या 46/2021-22	कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 18/2021-22के मामले में - मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2022 के बाद भी करने के लिएअंतरिम व्यवस्था	17.03.2022





क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
49	आदेश संख्या 47/2021-22	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (टीआरवी), तिरूवनंतपुरम में 01.04.2022से 30.09.2022 तक की अविध के लिए प्रदान की जाने वाली कार्गी हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।	17.03.2022
50	आदेश संख्या 49/2021-22	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में परियोजना कार्य और मैट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) की वसूली के मामले में - डीएफ की वसूली की अवधि बढ़ाने के संबंध में	28.03.2022

6. निष्पादन मानकों का अन्वीक्षण

ऐरा के प्रमुख कार्यों में से एक "सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित उन निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना है, जो केंद्र सरकार या इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।" बैंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए संबंधित रियायत करारों में सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा जारी विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) जैसे रेटिंग के कतिपय स्तर को प्राप्त करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता जापन करता है।

प्राधिकरण वर्तमान में हवाईअड्डों पर निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों जैसे **एसीआई,स्काई ट्रैक्स** आदि द्वारा दी गई रेटिंग पर विश्वास करता है।

ऐरा में न्यायालयी मामले

रिपोर्ट की अविध के अंत में ऐरा द्वारा जारी किए गए विभिन्न टैरिफ आदेशों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में चौवालीस (44) मामले लंबित हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान तेरह (13) नए मामले दर्ज किए गए और तीन (03) मामलों का निपटारा किया गया है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों का विवरण निम्नान्सार है:

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण	मामलों की संख्या
1.	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	28
2.	भारत का उच्चतम न्यायालय	13
3.	उच्च न्यायालय, दिल्ली	02
4.	उच्च न्यायालय, कर्नाटक	01
	कुल मामले	44

8. प्रशासनिक और स्थापना मामले

(क) नए अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण

ऐरा में बैंच अधिकारी के पद पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त अधिकारी के प्रति नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया गया

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार प्रधिकरण में 02 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 के दौरान लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान ऐरा भवन और इसके आस-पास के क्षेत्रों को साफ कर उसका सौंदर्य बढ़ाया गया; बेकार फर्नीचर, ई-अपशिष्ट (650 कि.ग्रा.) और अन्य रद्दी सामान का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया गया। कुल तीन हजार पाँच सौ कि.ग्रा. (3500 कि.ग्रा.) बेकार काग़ज को रिसाइक्लिंग के लिए दिया गया जिसके बदले रिसाइकल किए गए काग़ज की एक लाख शीट प्राप्त हुई।

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशों के परिणाम स्वरूप हर शुक्रवार को 17.00 बजे से 20.00 बजे तक साप्ताहिक विशेष अभियान चलाए गए, जिनमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुरानी फाइलों/दस्तावेजों का पुर्नविलोकन किया और इन्हें इनके स्वच्छ कार्य स्थल तथा दराजों आदि में रखने के लिए छांटकर अलग किया गया।

(ग) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ऐरा में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए गए। हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्राधिकरण में महापुरूषों की जयंती एवं राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें विजेताओं को विभिन्न प्रस्कार भी प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त दिनांक 01 से 15 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, इन प्रतियोगिताओं में 95 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त कार्यालय में विभिन्न स्थानों पर हिंदी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूक्तियां भी प्रदर्शित की गई।

इसके साथ-साथ राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें "राजभाषा नीति", "कंप्यूटर एवं मोबाइल पर हिंदी में काम कैसे करें", "हिंदी में नोंटिंग एवं ड्राफ्टिंग" तथा "स्वतंत्र भारत में हिंदी में कार्य करने की अनिवार्यता" विषयों पर व्याख्यान दिए गए। इस सम्मेलन में 36 कार्मिकों ने भाग लिया। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार (04) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 93 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन (03) बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गईं। प्राधिकरण में सरकार की हिन्दी प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 10 विजेता प्रतिभागियों को कुल 30000/- रूपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।





नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च, 2022 को ऐरा का राजभाषायी निरीक्षण किया। मंत्रालय ने प्राधिकरण के कार्य की सराहना की और इसे संतोषजनक बताया।

(घ) महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय आंकड़ें भी शामिल है

ऐरा में केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात और आउट-सोर्स आधार पर सहायक स्टाफ के रूप में कार्यरत 14 महिला कार्मिक हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यालय परिसर में चिकित्सीय आपात-स्थिति होने पर या अचानक आवश्यक सरकारी कार्य होने पर जल्दी घर से लाने/देर हो जाने पर घर छोड़ने के लिए परिवहन/ वाहन की सुविधा; स्त्री-रोग विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर वार्ता का आयोजन ; महिलाओं के शौचालयों के लिए समर्पित महिला सफाई-कर्मी आदि जैसी पर्याप्त स्विधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(इ.) जन शिकायत निवारण व्यवस्था

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

(च) प्रदूषण नियंत्रण:

प्राधिकरण हवाईअइडों द्वारा पर्यावरण अनुकूल उपाय किए जाने को प्रोत्साहित करता है और टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इसके लिए उन्हें तदनुसार प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इन उपायों में मोटे तौर पर सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, शोधन संयत्र के माध्यम से पानी की रिसाइक्लिंग आदि सम्मिलित हैं। 02 से 31 अक्तूबर, 2021 के दौरान आयोजित किए गए विशेष अभियान के दौरान प्राधिकरण के विशेष दलों ने दिल्ली, हैदराबाद, मैंगलोर और कोलकाता स्थित कुछ प्रमुख हवाईअइडों पर इन हवाईअइडों द्वारा पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई पहल तथा उपायों के संबंध में निरीक्षण किए।

(छ) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिनिधित्व

प्राधिकरण केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करता है और इस कारण से आरक्षण नीति सीधे तौर पर लागू नहीं है। तथापि ऐरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के काफी अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं।

(ज) दिव्यांगों के लिए सुविधाएं

ऐरा का भवन एयर इंडिया से (अब एएआईएएचएल) किराए पर लिया हुआ है जिसमें दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए भवन में रेंप और सपोर्ट हैंडल, जिनसे वे आसानी से भवन में प्रवेश कर सकते हैं और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध की गई है। ऐरा वेबसाइट दिव्यांगों के लिए स्विधाजनक है।

(झ) प्रमुख उपलब्धियां

प्राधिकरण ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की नियंत्रण अवधि के लिए चंडीगढ़ (दिनांक 20.08.2021 का

आदेश संख्या 07/2021-22), कोचीन (दिनांक 24.08.2021 का आदेश संख्या 08/2021-22), बैंगलोर (दिनांक 28.08.2021 का आदेश संख्या 11/2021-22) और हैदराबाद (दिनांक 31.08.2021 का आदेश संख्या 12/2021-22) स्थित प्रमुख हवाईअइडों के लिए टैरिफ निर्धारित की। प्राधिकरण ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की नियंत्रण अविध के लिएएएआई के चैन्नई, कालीकट, कोलकाता और प्णे स्थित हवाईअइडों के संबंध में भी टैरिफ निर्धारित की।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गी, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए भी टैरिफ निर्धारित की।

प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट की अवधि, अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान विभिन्न हवाईअड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए नीचे बताए अनुसार कुल पचास (50) टैरिफ आदेश जारी किए गए :

क्र. सं.	टैरिफ आदेश का प्रकार (अंतरिम टैरिफ आदेश सहित)	आदेश संख्या
1.	हवाईअड्डा टैरिफ आदेश	16
2.	स्वतंत्र सेवा प्रदाता	34
	कुल	50

9. बजट

(क) निधियन संरचना

ऐरा सरकारी सहायता-अनुदान के माध्यम से अपने लिए निधियन प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से 24.00 करोड़ रूपए प्राप्त किए। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता/वसूल नहीं करता।

10. विनियामक पक्ष-समर्थन और प्रयोक्ताओं के हित का संरक्षण

प्राधिकरण के पदाधिकारी ऐरा की विनियामक प्रकृति के कार्यों और गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। ऐरा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के विकासों की जानकारी के लिए विनियामक फोरम में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है।

11. क्षमता निर्माण

प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार(संगोष्ठी)/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और नामित करता है।

12. लेखा और लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र संलग्न हैं।





वार्षिक लेखा विवरण 2021-22







भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	-99,83,044.48	-1,74,28,394.48
आरक्षित और अधिशेष	2	_	(2 1)
निर्धारित/अक्षय निधि	3	8,00,00,000.00	-
सुरक्षित ऋण उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण उधार	5	-	1
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	5,82,84,949.02	3,39,82,354.00
कुल		12,83,01,904.54	1,65,53,959.52
परिसंपत्ति			-
अचल परिसंपत्ति	8	8,00,00,156.00	50.00
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	_	<u></u>
निवेश – अन्य	10	-	· - :
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खाते डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)	11	4,83,01,748.54	1,65,53,909.52
कुल		12,83,01,904.54	1,65,53,959.52
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नामः कर्नल मनु सूदन पदनामः सचिव

दिनांक:





भारतीय विमानपलन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का विनीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान

					(राशि- रूपए)
प्राप्तियां	चाल वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
1. अध्योष			1. खर्च		
क) नकद श्रोप			क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अनुरूप)	3,91,40,271.00	4,01,69,261.48
ख) बेंकभेजमा सथि			 ख) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अनुरूप) 	7,64,31,708,00	5.91,27,220,00
i) चालूखातों में (अनुसूची-11)	-3,76,546.00	1,89,64,014.00			
іі) जमा खातों में	1,54,50,167.52	î	विक्रेता,कर्मचाम्यों को अग्रिम भुगतान		52,000.00
iii) बचतखातीं में					
ii) प्राप्त अनुदान			1) विभिन्न परियोग्ननाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान		
			(परियोजना के लिए निधि का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
क) भारत सरकार से – गजस्व (अनुसूची-13)	15,71,86,554.00	10,35,56,548.00			
ख) भारत सरकार से – पूजी (अनुसूदी-3)	8,28,13,446.00	12,43,452.00			
ग) राज्य सरकार से					
घ) अन्य होतों से (व्यौग)					
(पूजी और राजस्य खर्च के लिए अनुवान अलग दिखाए जन्म					
संस्थित के निर्मेणों एक आग			ाः किम गा निर्मा आर्थ तमा		
			कः नियमित (अक्षा निरिम्में में मे		
- 1			- 1		
छ) अपनी निधियां सं (अन्य निवंश)			छ) अपनी निधियों में सं (निवेश-अन्य)		
iv) प्राप्त ब्याज			iv स्थायी परिसंप्यतियो और चल रहं पूर्तागत कार्यों पर व्यय		
क) त्रीकर्मेजमाराशिषमः	4,19,439.00	73,727.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीत	28,13,446.00	12,43,452.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) चल रहे पूंजीयत कार्यों पर ठबट	8,00,00,000,000	
Ŕ			ग) निधि के अन्य प्रदाता		
v) अन्य आय (अनुमूची-18)	62,687.00	21,355.00	V अधिगेष धन/भुण की वापसी		
			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		8
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
			ां वित्तंत्राभार		
र्ग) उधार ली यई राभि			vii अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
			क) मुल्क और कर	1,14,92,301.00	89,84,398,00
			ख) बापस की गई सुरक्षा जमा गशि	6,00,000.00	
vII) कोई अन्य प्राप्तियां	17,82,328.02	7,90,857.00	र्गात अंत ग्रोष		
			क) नकद शेष		
			ग) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)		
			1) चालुखातों में	25,21,771.54	-3,76,546.00
			іі) जमाखातों में	4,43,38,578.00	1,54,50,167.52
			॥) बचत खातों में		
চ্চ	25,73,38,075.54	12,46,49,953.00	₹9	25,73,38,075.54	12,46,49,953.00

भारतीय विमानपत्वन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रवंशन की ओर से नाम: कर्नल मनु सूद्न पदनाम: सचिव दिलांक

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि-रूपए)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
	12	-	4
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	15,71,86,554.00	10,35,56,548.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	_
निवेश से आय	15	-	<u>=</u> .
(निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय/निधि में		-	120
अंतरित)	0 0		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		-
अर्जित ब्याज	17	4,23,877.00	83,960.00
अन्य आय	18	62,687.00	21,355.00
परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के	19	<u> </u>	2
स्टॉक में वृद्धि/(कमी)			
कुल (क)		15,76,73,118.00	10,36,61,863.00
व्यय			
स्थापना खर्च	20	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	10,35,64,695.00	5,83,08,455.00
मूल्यहास	8		
अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय	22	-	5
ब्या ज	23	-	
कुल (ख)		15,02,27,768.00	10,44,34,964.48
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)		74,45,350.00	(7,73,101.48)
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/में अंतरण		-	=
कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाए गए अधिशेष के		74,45,350.00	(7,73,101.48)
रूप में शेष/(घाटा)			
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		
अकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी	24		
जाकास्मक दयताए आर खाता सबबा टिप्पणियां	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नामः कर्नल मनु सूदन

पदनामः सचिव

दिनांक:





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	-1,74,28,394.48	-1,66,55,293.00
	-	To.
	74,45,350.00	-7,73,101.48
	-99,83,044.48	-1,74,28,394.48
	संलग्नक संख्या	-1,74,28,394.48 - 74,45,350.00

अनुसूची २ – आरक्षित और अधिशेष	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूंजी		3000	
पिछले खाते के अनुसार		-	_
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		=	=
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
2. पुनर्मूल्याकंन की गई आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		2	_
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती			TO.
3. विशेष आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
4. सामान्य आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		Til.	70
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		=	
कुल		3	2

अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का अथशेष		-	BASC BASING STORES CO. CO.
(ख) निधियों में परिवर्धन			
(i) दान/अनुदान		8,00,00,000.00	
(ii) निधियों के निवशों से आय		9	
(iii) अन्य परिवर्धन		-	
कुल (क+ख)		8,00,00,000.00	
(ग) निधियों का उपयोग			
(i) पूंजीगत व्यय		(12)	
- अचल परिसंपत्तियां		:-	
- अन्य		-	
कुल			
(ii) राजस्व व्यय		VIII.	
- वेतन, मजूदरी और भत्ते आदि		-	
- किराया			
- अन्य प्रशासनिक व्यय		H	
कुल			
कुल (ग)		8,00,00,000.00	
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		t =	





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)			
3. वित्तीय संस्थाएं		-	=
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज		120	320
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण		-	-
उपार्जित और देय ब्याज			
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		5 5 7	3 X
उपार्जित और देय ब्याज			
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	=
कुल		-	=

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		=	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण		~	-
_{ख)} अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	=
7. सावधि जमा		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)			120
कुल		=	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 : – आस्थगित ऋण देनदारियां	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां			×
ख) अन्य		=	53)
कुल		=	=

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची ७ :- मौजूदा देयताएं और	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रावधान		~	
(क) मौजूदा देयताएं			
1. स्वीकृतियां		E	<u></u>
2. विविध लेनदार:			
क) माल के लिए			-
ख) अन्य	1	5 1	75,19,625.00
3. प्राप्त अग्रिम		-	-
 निम्नलिखित पर ब्याज, उपार्जित परंतु देय 			
नहीं:			
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-	-
 सांविधिक देयताएं: 			
क) अति देय		Ħ1	H
ख) अन्य	2	1,61,032.00	6,37,345.00
 अन्य मौजूदा देयताएं 	3	22,43,709.02	10,58,751.00
7. आस्थगित अनुदान आय		135.00	29.00
(देखें: पाद टिप्पणी)			
कुल (क)		24,04,876.02	92,15,750.00
(ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए		201	<u></u>
2. उपदान		ΞI.	=
3. अधिवर्षिता/पेंशन		8	Ř
 संचित छुट्टी नकदीकरण 		-	-
5. व्यापार वांरटी/दावे		er	-
6. अन्य	4	5,58,80,073.00	2,47,66,604.00
कुल (ख)		5,58,80,073.00	2,47,66,604.00
कुल (क+ख)		5,82,84,949.02	3,39,82,354.00

पाद टिप्पणी

वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	29.00	₩.
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	28,13,446.00	12,43,452
वर्ष के दौरान परिशोधित और स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाया गया अनुदान	28,13,340.00	12,43,423
वर्ष के अंत में अंतशेष	135	29





अनुमृची-8

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियासक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

		मकल ख्लाक	F			H	मल्यहाम		निवल ब्लाक	192
4				7		3	10.6			4
विवर्ण	वर्ष क प्रार्भ म	वष क दारान महिन्स्त	वष क दारान	बष क अतम	वष क प्रात्म	वर्ष क दारान	वष क दारान	वब क अत	चात्त्वष क अत ऱ	ापछल वष
4	लागत्रम् त्याकन	नारवधन	कटावा	लागत/मृल्याकन	Ŧ	पारवधन पर	कटाता पर	ದ್ಯೂ ಕ್ರಿ	Ŧ	क अंध म
क. स्थाया पार्सपात										
1.भूमि										
क) फ्रीलेल्ड	6 ™ 3	-	· **	-	3 -3 7		•	\$100 E		1
ख) लीज होल्ड	T.	r	1	ĵ.	ı	1	1	ï	1	1
2) भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	3i	9	a	ä	1	a	3.533	a	a
ख) लीब्रहोल्ड भूमि पर	1.00	•		1.00			•		1.00	1.00
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/	.1	1	1	ı	1	j.		1	1	1
परिसर										
घ) संस्था से असंबद्ध भूमि पर अधिरचनाएं	•	10		ı		1	ř	ı	T	I.
3.संयंत्र मशीनरी और समस्य	1.00	Ü	Û	1.00	ı	ı	-	r	1.00	1.00
4. वाहन	r			1		i			1	1
5. फर्नींचर, फिक्मचर	5.00	2.00	à	7.00		9	1	31	7.00	5.00
6. कार्यालय उपस्कर	12.00	44.00	1	56.00		1	1	Ģ	56.00	12.00
7. कम्प्यूटर और महायक	17.00	49.00	r.	00.99		ı		ij	00.99	16.00
उपकर्ण										
8 इलेक्ट्रिक संस्थापन	14.00	11.00	•	25.00		•	•	i	25.00	14.00
9. पुस्तकालय की पुस्तके		•	•	ı.	140	** (Cont.)	•	20 - 20	•	1.00
10. ट्यूबवेल और पानी की आपूर्ति	ä	ı	2	ā	į	i	т	Ĭ.		ı
11. अन्य स्थायी परिसंपत्ति		,	3	,		3	1	-	•	
चालू वर्ष का कुल -क	90.05	106.00	1	156.00	1	1	1	1	156.00	50.00
पिछले वर्ष	21.00	29.00	•	50.00	•	ij		**	50.00	21.00
SPEC LINES TO THE SPECIAL SPEC										
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	8,00,00,000,00	1	8,00,000,000.00					8,00,00,000.00	
चालू वर्ष का कुल -ख-		8,00,00,00,00	r	8,00,00,000.00					8,00,00,000.00	
पिछले वर्ष	10	-	1							
याल् वर्ष का कुल –ग- (क⊦ख)	50.00	8,00,00,106.00	r	8,00,00,156.00					8,00,00,156.00	50
पिछले वर्ष	21.00	29.00	1	50.00	-	ì	=		50.00	21.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 9 :- निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		=	
3. शेयर		w/	9
4. डिबेंचर और बॉन्ड			8
5. सहायक और संयुक्त उद्यम			3
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)			6
कुल		-)

अनुसूची 10 : निवेश - अन्य	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		=	i s
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		=	
3. शेयर		-	
4. डिबेंचर और बॉन्ड		=	,
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		=	3
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		=	9
कुल		-	





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 11 : मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा परिसंपत्तियां			
1. वस्तु सूची (इन्वेंट्री):			
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे		8-	
ख) खुले औजार		i.e	<u>;=</u>
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
परिष्कृत माल			
परिष्कृत किया जा रहा माल		-	-
कच्चा माल			: -
2. विविध देनदार			
क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया		220	72
ऋण			
ख) अन्य		5	=
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		7-	~
4. र्बैक में जमा राशि:			
क) अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		25,21,771.54	-3,76,546.00
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल		4,43,38,578.00	1,54,50,167.52
हैं)			
बचत खातों में		S=.	=
ख) गैर अनुसूचित बैंको में			
चालू खातों में		=	7 -
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल		-	·=
हैं)			
बचत खातों में		6	1 2
5. डाकघर बचत खाते	3	5	35
कुल (क)		4,68,60,349.54	1,50,73,621.52

		संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य प	रिसंपत्तियां			
1. ऋण:				
क) स्टाफ			-	-
ख) संस्था की समान गतिनि	वेधियों/ उद्देश्यों		-	-
में लगी अन्य संस्थाएं				
ग) अन्य (उल्लेख करें)				
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य	के लिए नकद		-	-
या वस्तु के रूप में वसूली यं	ोग्य अग्रिम			
और अन्य राशियां				
क) पूंजी खातों पर			-	-
(भारतीय विमानपत्तन प्र	ाधिकरण)			
ख) पूर्व अदायगी			17,724.00	
ग) अन्य		5	14,19,237.00	14,80,288.00
3. उपार्जित आय :				
क) निर्धारित/अक्षय निधि र	से निवेश पर		-	-
ख) निवेश पर - अन्य			-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर			-	-
घ) अन्य			4,438.00	-
4. वसूली योग्य दावा:			-	-
कुल (ख)			14,41,399.00	14,80,288.00
कुल (क+ख)			4,83,01,748.54	1,65,53,909.52





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि-रूपए)

अनुसूची 12 : - बिक्री/सेवाओं से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री		7-	79
ख) कच्चे माल की बिक्री		-	5 .= 4.
ग्र रद्दी माल की बिक्री		-	
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार		-	s .
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		-	(5)
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली		-	X=
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		-	
ङ) अन्य (उल्लेख करें)		-	CEI
कुल		-	(-

अनुसूची 13 :- अनुदान/आर्थिक सहायता	संलग्नक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त			
आर्थिक सहायता)			
1) केन्द्रीय सरकार		15,71,86,554.00	10,35,56,548.00
(देखें: पाद-टिप्पणी)			
2) राज्य सरकार (सरकारें)		-	:=
3) सरकारी एजेंसियां		=	=
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		~	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-	18
6) अन्य (उल्लेख कों)		-	
कुल		15,71,86,554.00	10,35,56,548.00

पाद टिप्पणी

केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुवान और आर्थिक सहायता वर्ष के दौरन खरीदी गई स्थाजी परिसंपत्तियां 28,13,446.00 12,43,452.00 निवल अनुवान 15,71,86,554.00 10,35,56,548.00

अनुसूची 14 :- शुल्क/अभिदान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क		12	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान		:=	8.=
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		18	i e
4) जी.पी.एफ. अंशदान		**	82
5) अन्य (उल्लेख करें)		S=.	S. e
कुल		-	9

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

	निर्धारित ि	निर्धारित निधि से निवेश	अन्त	अन्य निवेश
अनुसूची – 15 निवेशों से आय	चाल्वर्ष	पिछला वर्ष	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
्निधि में अंतरीत निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय)				
1. ভ্যান				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1	T		
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	1	1		
2. लाभांश				
क) शेथर पर	L	r		
ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	ı	T.		
3. किराया	and	3		
4. अन्य (उल्लेख क्सें)	-	r.		
છેલ	Δ.	T.		

निर्धारित/अक्षय निधियों में अंतरित





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय		-	ī
2) प्रकाशनों से आय		=:	=
3) अन्य (उल्लेख करें)		=	_
कुल		= :	=:

अनुसूची 17: अर्जित ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा राशियों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		4,23,877.00	83,960.00
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में			
ग) संस्थाओं में		3	=
घ) अन्य		≡ s	=0
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		120	126
ख)गैर अनुसूचित बैंकों में			_
ग) डाकधर बचत खाता			
घ) अन्य			
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		- c	-
ख)अन्य		=	-
4. देनदार पर ब्याज और प्राप्त करने योग्य अन्य			-
राशियां			
कुल		4,23,877.00	83,960.00

अनुसूची 18: अन्य आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:			
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		=	=
ख)अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त		-	= 3
परिसंपत्तियां			
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन			=
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6	30.00	10.00
4. विविध आय	7	62,657.00	21,345.00
कुल		62,687.00	21,355.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

अनुसूची 19 : परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक			
- परिष्कृत माल		- E	=
- तैयार किया जा रहा माल		₩:	##:
ख) घटाएं – आरंभिक स्टॉक		=	=
- परिष्कृत माल		129	120
- तैयार किया जा रहा माल		.	
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)		=	

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	8	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48
ख) भत्ते और बोनस		-	=
ग) भविष्य निधि में अंशदान		MAX.	
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)		8	=
ड.) स्टाफ कल्याण खर्च		-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर खर्च			
छ) अन्य (उल्लेख करें)		E S	120
कुल		4,66,63,073.00	4,61,26,509.48





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

(साश- रूपए			(11141- (2146)
अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक खर्च	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आदि		5,7462	
क. खरीद		=	=
ख. श्रम और प्रसंस्करण खर्च		1-0	—
ग. ढुलाई और माल भाड़ा		=	-
घ. बिजली और ऊर्जा		14,41,901.00	21,37,404.00
ड. पानी प्रभार		_	_
च. बीमा		=	=
छ. मरम्मत और अनुरक्षण		22,29,778.00	24,20,997.00
ज. उत्पाद शुल्क			-
झ. किराया, दर और कर		1,05,21,364.00	1,05,21,364.00
ञ. वाहन को चालू हालत में रखने और		=	-
अनुरक्षण संबंधी खर्च			
ट. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		3,15,329.00	4,20,023.00
ठ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री		3,38,636.00	4,37,673.00
ड. यात्रा और वाहन खर्च		4,66,479.00	5,42,921.00
ढ. संगोष्ठी/कार्यशाला पर खर्च		=	-
ण. अभिदान खर्च		1,00,000.00	1,00,000.00
त. शुल्क पर खर्च		-	=
थ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक		3,00,000.00	3,00,000.00
द. आतिथ्य खर्च		99,295.00	71,085.00
ध. व्यावसायिक प्रभार		1,91,91,681.00	1,55,60,587.00
न. अशोध्य और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के		-	
लिए प्रावधान			
प. बट्टे खाते में डाली गई वसूल न किए		-	
जाने योग्य शेष राशि			
फ. माल भाड़ा और अग्रेषण खर्च		-	
ब. वितरण खर्च		=	
भ. विज्ञापन और प्रचार		3,68,105.00	4,28,240.00
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार		11,38,189.00	20,31,994.00
मैनपावर भाँड़े पर लेने संबधी खर्च		6,59,05,344.00	2,10,44,544.00
अन्य	9	11,48,594.00	22,91,623.00
कुल		10,35,64,695.00	5,83,08,455.00

पाद टिप्पणी : पूर्व अवधि मद

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मैनपावर भाड़े पर लेने संबधी खर्च	2,04,30,396.00	·=:
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार	1,28,810.89	-
यात्रा एवं सवारी खर्च	71,116.00	
डाक –व्यय : दूरभाष एवं संचार प्रभार	17,075.00	-
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार	9,219.38	-
अन्य	21,210.00	-
	2,06,77,827.26	-





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 22: अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान			-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक		-	×
सहायता कुल			

अनुसूची 23 : ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		=	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)			=
ग) अन्य (उल्लेख करें)		5 0	
कुल		8	

भारतीय विमानपपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

अनुसूची -24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

जब तक कि अन्यथा न बताया जाए और लेखांकन की पद्धति में न कहा जाए, वित्तीय विवरण पुरानी लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. वस्तु सूची मूल्याकंन

- 2.1 सामान और अतिरिक्त पुर्जों (मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- 2.2 कच्चा माल, अर्द्ध परिष्कृत माल और परिष्कृत माल का कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागतें परिष्कृत माल और अर्द्ध परिष्कृत माल की भारित औसत लागत पर आधारित होती हैं और इनका निर्धारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है।

3. निवेश

- 3.1 ''दीर्घावधिक निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न कमी का प्रावधान, ऐसे निवेशों की लागत को शामिल कर किया जाता है।
- 3.2 'चालू' के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य संबंधी कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।
- 3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टांप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल हैं।
- 4. <u>उत्पाद शुल्क</u> लागू नहीं

5. स्थायी परिसंपत्ति

- 5.1 स्थायी पिरसंपित्तयां सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी जाती हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, ऐसे अनुदानों को पूंजीगत अनुदान समझा जाता है। पिरसंपित्तयों के पूंजीकरण के समय इनका अंकित मूल्य निकालकर पिरसंपित्तयों के सकल मूल्य में से अनुदानों को घटाया जाता है। जब अनुदान पिरसंपित्त की लागत के बराबर होता है तब पिरसंपित्त को 1 रूपए के नाममात्र के मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।
- 5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्ति को (कॉर्पस निधि से भिन्न) आरक्षित पूंजी के लिए तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा निर्धारित मूल्य पर पूंजी में परिणत किया जाता है।

6. मूल्यहास

- 6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यह्नास प्रभारित नहीं किया जाता।
- 6.2 आयकर अधिनियम की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और तदनुरूपी अनुदान को आरक्षित पूंजी से होने वाली आय और व्यय के खाते में भी डाला जाता है। 5,000/- रूपए या इससे कम की लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।





7. विविध खर्च

आस्थिगित राजस्व व्यय को इसे वहन किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

- 8. बिक्री के लिए लेखांकन लागू नहीं
- 9. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता
- 9.1 परियोजना स्थापन की पूंजीगत लागत के लिए योगदान स्वरूप वाले सरकारी अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।
- 9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्ति संबंधी अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 9.3 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।
- 9.4 चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के लिए अनुसूची संख्या 13 देखें। इसके अलावा, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई गैर- आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

10. विदेशी मुद्रा लेन देन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा के लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।
- 10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता हैं। परिणामी लाभ/हानि को स्थायी परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामले में राजस्व के लिए मानी जाती है।

11. पट्टा (लीज़)

1,05,21,364.00 रूपए (पिछले वर्ष 1,05,21,364 रूपए) के लीज़ भुगतान चालू वर्ष के आय और व्यय लेखा में प्राप्त किए गए।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

- 12.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) स्टाफ की नियुक्ति "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक कर्मचारी (पदों की संख्या एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011" के अनुसार केन्द्र सरकार/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों में से विशुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा आधार पर करता है। ऐरा अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कारण से ऐरा की बहियों में ऐसे लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 12.2 कर्मचारियों के लिए संचित छुट्टी के नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका परिकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

नामः कर्नल मनु सूदन पदनामः सचिव

भारतीय विमानपपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

ऋृण के रूप में कंपनी के विरूद्ध दावे/विवादित मांगें प्राप्त नहीं हुई: एएआई के लिए वेतन की प्रतिपूर्ति

शून्य (11,61,68,597 रूपए)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी और ऐरा के संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धता के कारण ऐरा की हिस्सेदारी 10.38 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 18.38 करोड़ रूपए) है।

ऐरा को वर्ष के दौरान 16.542 करोड़ रूपए (18. 38 करोड़ रूपए का 90%) का अधिदेश प्राप्त हुआ है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 8 करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया गया है।

लीज़ दायित्व :

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज़ व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराए के लिए भावी दायित्वों की राशि शून्य रूपए है।

वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह तुलन पत्र में दर्शाई गई कम से कम करार की गई राशि के बराबर होता है।

5. **कराधान:**

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।

6.	विदेशी मुद्रा लेन-देन	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
6.1	सीआईएफ आधार पर परिकलित	शून्य	शून्य	

- आयातों का मूल्य - परिष्कृत माल की खरीद
- कच्चा माल और उपस्कर
- पूंजीगत माल
- स्टोर, अतिरिक्त पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं





6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

	क) यात्रा	શૂન્ય	શૂન્ય
	ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को प्रेषण और ब्याज की अदायगी	श्र्न्य	शून्य
	विदेशी मुद्रा में	शून्य	शून्य
	ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
	- बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
	- विधिक और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
	- ਕਿਕਿੰध खर्च	शून्य	शून्य
6.3	आय:		
	एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
6.4	सीएजी लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
	5 - 2 5 5 G		

लेखा परीक्षकों के लिए 3,00,000.00 3,00,000.00

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए

अन्य शून्य शून्य

- 7. पिछले वर्ष के तदनुरूपी (Corresponding) आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुनः समूह बनाया गया/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
- 8. संलग्न 1 से 25 तक की अनुसूचियां दिनांक 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के खाते का अभिन्न भाग हैं।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन पदनाम: सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण तुलन पत्र के संलग्लक

(राशि रूपए)

		(राशि रूपए)
संलग्नक : 1 विविध लेनदार	चालू वर्ष (21-22)	पिछला वर्ष (20-21)
विमानपत्तन प्राधिकरण मरम्मत एवं अनुरक्षण	н.	75,19,595.00
एमटीएनएल	-	30.00
श्री दिम्बिजय गय	9.7	1
कुल	-	75,19,625.00
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 2 सांविधिक देवताएं	चालू वर्ष (21-22)	चालू वर्ष (20-21)
टीमीएस	19	×
सीजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	67,341.00	30,759.00
आईजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 2%	26,350.00	74,931.00
एसजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	67,341.00	30,759.00
टीडीएस 192ए	-	57,543.00
टीडीएस 194सी	-	26,522.00
टीडीएस 194आई	-	1,11,455.00
टीडीएस 194 जे	*	3,05,376.00
कुल	1,61,032.00	637,345.00
संलग्नक : 3 अन्य चालू देवताएं	चालू वर्ष (21-22)	ਜ਼ਾਜ੍ਵਿਕ (20-21)
सुरक्षा जमा	4,53,751.00	10,53,751.00
वित्त एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली	17,82,328.02	19,55,751.50
प्रस्तुत न किए गए चेक	2,630.00	<u> </u>
कॉपीयर मैंटेनेंस कॉपोंग्शन (ईएमडी)	5,000.00	5,000.00
कुल	22,43,709.02	10,58,751.00
संलग्नक: 4 प्रावधान (अन्य)	चालू वर्ष (21-22)	चालू वर्ष (20-21)
पेशन एवं वेतन प्रावधान	18,00,000.00	18,00,000.00
व्यावसायिक शुल्क प्रावधान	6,90,432.00	25,52,578.00
एएमसी के लिए प्रावधान	4,71,403.00	120,323.00
एएआई वाहन का प्रावधान	23,93,000.00	23,93,000.00
लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	9,00,000.00	6,00,000.00
वाहन भाड़े पर लेने का प्रावधान	61,979.00	72,456.00
माली भाड़े पर लेने का प्रावधान	2,000.00	<u> </u>
गृह प्रबंधन खर्च के लिए प्रावधान	1,29,723.00	60,430.00
बाहरी स्रोत से कार्मिक लेने के लिए प्रावधान	4,06,53,192.00	75,23,821.00
संपत्ति कर ऐरा		15,00,000.00
बिजली एवं पावर के लिए प्रावधान	2,01,386.00	21,37,404.00
मस्मत एवं अनुस्क्षण प्रभारों के लिए प्रावधान	41,58,869.00	20,09,758.00
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	2,36,629.00	1,97,715.00
वेतन खर्च के लिए प्रावधान	38,03,460.00	33,94,119.00
सीईए के लिए प्रावधान	3,78,000.00	4,05,000.00
कुल	5,58,80,073.00	2,47,66,604.00
संलग्नक : 5 अग्रिम और नकद या अन्य प्रकार से वसूली		
योग्य अन्य राशियां	चालू वर्ष (21-22)	चालू वर्ष (20-21)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	7,55,671.00	7,55,671.00
अग्रिम भुगतान	1,182.00	
श्री बी एस भुल्लर	₩ .	45,000.00
कर्मचारियों के लिए त्यौहार अग्रिम	15.1	7,000.00
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	5,41,645.00	





एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1,20,739.00	1,20,739.00
स्रोत पर काटा गया कर (आईसीआईसीआई से वसूली योग्य)	,-	10,233.00
कुल	14,19,237.00	14,80,288.00
- <u>.</u>	-	(राशि रूपए)
संलग्नक : 6 विविध सेवाओं के लिए शुल्क	चालू वर्ष (21-22)	पिछला वर्ष (20-21)
पोस्टल ऑर्डर	30.00	10.00
आरटीआई शुल्क	30.00	10.00
	***	(राशि रूपए)
संलग्नक : 7 विविध आय	चालू वर्ष (21-22)	पिछला वर्ष (20-21)
पुराने फर्नीचर और रहीं माल की बिक्री	15,550.00	%
अन्य प्राप्तियां	34,337.00	3.87
लैपटाप की बिक्री	12,770.00	21,345.00
कुल	62,657.00	21,345.00
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 8 वेतन और पारिश्रमिक	चालू वर्ष (21-22)	पिछला वर्ष (20-21)
वेतन खर्च	3,92,58,568.00	3,82,03,568.48
एनपीएस के लिए कर्मचारियों का अंशदान	21,50,861.00	26,66,215.00
पेंशन और छुट्टी वेतन	17,57,098.00	12,55,728.00
चिकित्सा खर्च	5,40,554.00	8,97,473.00
छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) प्रभार	-	5,51,368.00
सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	6,19,852.00	6,76,597.00
ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	36,270.00	000000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
बकाया वेतन	-	5,95,065.00
परिवहन भरता	11,873.00	95
बकाया महंगाई भत्ता	1,82,443.00	
मकान किराया भरता	86,339.00	1,47,168.00
मानदेय	1,05,000.00	1,33,000.00
बोनस	82,896.00	62,172.00
नियोक्ता का पेंशन का अंशदान	2,19,757.00	213,614.00
छुट्टी नकदी	16,11,562.00	7,24,541.00
कुल	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48
1		(राशि रूपए)
संलग्नक : 9 अन्य प्रशासन खर्च	चाल् वर्ष (21-22)	पिछला वर्ष (21-22)
वाहन भाड़े पर लेने के लिए संविदा	8,86,677.00	7,39,429.00
यात्रा खर्च	3,54,884.00	1,34,459.00
इंटरनेट और डेटा प्रभार	1,09,671.00	1,01,048.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	72,904.00	99,977.00
कार्यालय खर्च	10,69,195.00	8,75,572.00
पेट्री खर्च	79,431.00	8,75,572.00 45,935.00
पट्टा खच टीए/डीए की प्रतिपर्ति	79,431.00	7,588.00
टाएडाए का प्रातपूत ऐरा भवन का संपत्ति कर	15.00.000.00	/,588.00
The last transfer of the second control of the second of t	-15,00,000.00	<u> </u>
दर एवं कर	57,601.00	\ <u>\</u>
संसदीय राजभाषा समिति	-5,369.00	2,64,820.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	23,600.00	22,795.00

कुल

11,48,594.00

22,91,623.00

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- 1. हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), नई दिल्ली के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के प्रबंधक वर्ग की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है।
- 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकट करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गींकरण के संबंध में केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां है। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य और नियमितता) और कार्यकुशलता तथा कार्य निष्पादन के पहुलओं आदि, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।
- 3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि इन वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक गलतबयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों के सम्धिन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में उन्हें दर्शाया जाना शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों का निर्धारण करना और प्रबंधक वर्ग द्वारा किए किए गए महत्वपूर्ण आकलनों तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार दिया गया है।
- 4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:
- (i) हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय में,ऐसी लेखा बिहयों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(1) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा उचित लेखा बिहयों और अन्य संबद्ध रिकॉर्डों का रखरखाव किया गया है।
- (iv) हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:





क) तुलन पत्र समग्र/पूंजीगत निधि और देयताएं चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) - 5.83 करोड़ रूपए

- (i) ऐरा ने संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, ऐरा और अन्य के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (24 नवम्बर, 2016) के संदर्भ में निधियों के लिए की गई मांग (दिसम्बर, 2021) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को देय 8.54 करोड़ रूपए की देयता को दर्ज नहीं किया है। इस कारण से 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 8.54 करोड़ रूपए की चालू देयता और जारी कार्य संबंधी पूंजी विवरण में शामिल नहीं की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- (ii) उपर्युक्त में ऐरा में कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों के वेतन के लिए 25 सितम्बर, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 9.56 करोड़ रूपए का प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को काम पर लेने के संबंध में हुए 9.56 करोड़ रूपए के व्यय और प्रावधानों को विवरण में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख आय और व्यय लेखा आय अर्जित ब्याज (अनुसूची 17) - 0.04 करोड़ रूपए

सामान्य वित्त नियमावली, 2017 के नियम, 230 (8) में यह निर्धारित है कि किसी भी अनुदानप्राही संस्था को जारी किए गए सहायता अनुदानों या अग्रिम (प्रतिपूर्ति से भिन्न) के बदले प्राप्त ब्याज या अन्य आय की संपूर्ण राशि लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद अनिवार्यत: भारत की समेकित निधि में भेज दी जानी चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की जाने वाली राशियों के बदले समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐरा ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की अनुदान निधि में से किए गए सावधि जमा पर अर्जित 0.04 करोड़ रूपए की ब्याज की आय को दर्ज किया है, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप विवरण में आय की राशि अधिक हो गई और 0.04 करोड़ रूपए की देयता विवरण में शामिल नहीं की गई।

ग) सहायता अनुदान :

वर्ष 2021-22 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से कुल 24.00 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2021 को अनुदान की अप्रयुक्त 1.22 करोड़ रूपए की राशि और अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित 0.04 करोड़ रूपए की ब्याज की राशि शेष थी। इस 25.26 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2021-22 के दौरान केवल 20.98 करोड़ रूपए ही खर्च कर सका और 4.28 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारे विचार से तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अधीन भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा ये सही एवं स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं।
- क) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति का तुलन पत्र 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति से संबंधित है; और
- ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह/-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 नवम्बर, 2022

(अतूर्वा सिन्हा) प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (अवसंरचना) नई दिल्ली





संलग्नक

(वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

2021-22 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत हैं:

(i) स्रोत पर काटे गए कर की राशि वापस लेने के लिए कर प्राधिकरण से दावा न करना।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

कोई वस्तु सूची नहीं है।

5. देय सांविधिक राशि की नियमित अदायगी

देय सांविधिक राशि समय पर अदा की गई थीं।

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों के सबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणियों पर प्रबंधक वर्ग का जवाब

पैरा	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	एच एम	प्राधिकरण का जवाब
संख्या		संख्या	
क	तुलन पत्र समग्र/पूंजीगत निधि और देयताएं चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) - 5.83 करोड़ रूपए (i) ऐरा ने संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, ऐरा और अन्य के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (24 नवम्बर, 2016) के संदर्भ में निधियों के लिए की गई मांग (दिसम्बर, 2021) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को देय 8.54 करोड़ रूपए की देयता को दर्ज नहीं किया है। इस कारण से 31 मार्च, 2022 की स्थित के अनुसार 8.54 करोड़ रूपए की चालू देयता और जारी कार्य संबंधी पूंजी विवरण में शामिल नहीं की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (ii) उपर्युक्त में ऐरा में कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों के वेतन के लिए 25 सितम्बर, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 9.56 करोड़ रूपए का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को काम पर लेने के संबंध में हुए 9.56 करोड़ रूपए के व्यय के प्रावधान को विवरण में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	4	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 24.11.2016 को डीजीसीए, बोसीएएस, ऐरा और एएआईबी के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के तहत राशि जमा करके इन सभी हितधारकों के लिए सफदरजंग हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्यालय भवन का निर्माण कर रहा है। हितधारक होने के कारण ऐरा को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर एएआई को किस्तों में 18.38 करोड़ रूपए जमा कराने है। परंतु नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में इस प्रयोजन के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत केवल 8.00 करोड़ रूपए की निधि आबंटित की है। चूंकि शेष निधियां प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमने लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार लेखाओं संबंधी टिप्पणियों के माध्यम से पूंजीगत प्रतिबद्धता के रूप में अपने हिस्से की शेष राशि, अर्थात 10.38 करोड़ रूपए दर्शाई है। परंतु लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। ऐरा में लोन आधार पर तैनात कर्मचारियों के बेतन की प्रतिपूर्ति के लिए एएआई को भुगतान वित्त वर्ष 2015-16 से एएआई से प्राप्त मांगों के अनुसार किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 26.03.2018 के पत्र संख्या एवी [1]29012/13/2018- एडी के माध्यम से यह निदेश दिया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2015 से एएआई के कार्मिकों के वेतन के कारण उनके द्वारा वहन किए गए ज्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वांचा की गई राशि जारी कर दी जाए। दिनांक 30.03.2022 के कार्यालय जापन संख्या जी [1] 20037/4/2021/एफ.आई/मोका द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार एएआई को इसके बाद की अवधि के भुगतान पूरी तरह से जारी कर दिए जाएं और 2015 से पहले की पुरानी देय किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना न की जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर लेखा बहियों में प्रावधान वित्त वर्ष 2015-16 से एएआई द्वारा की गई अनंतिम मांगों और ऐसी मांगों के बदले ऐरा द्वारा जीरी किए गए भुगतान के आधार पर किए गए हैं।





ख	आय और व्यय लेखा	15	ब्याज की राशि भारत की समेकित निधि में जमा कराने
9	आय	45.000	संबंधी मामला कुछ समय से मंत्रालय के साथ उठाया जा
	अर्जित ब्याज (अनुसूची 17) - 0.04 करोड़		रहा था। मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2022 की ई-मेल द्वारा
	रूपए		इसे सरकारी खाते में जमा करने के लिए विवरण बताया
	सामान्य वित्त नियमावली, 2017 के नियम, 230 (8) में यह निर्धारित है कि किसी भी अनुदानप्राही संस्था को जारी किए गए सहायता अनुदानों या अग्रिम (प्रतिपूर्ति से भिन्न) के बदले प्राप्त ब्याज या अन्य आय की संपूर्ण राशि लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद अनिवार्यत: भारत की समेकित निधि में भेज दी जानी चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी की जाने वाली राशियों के बदले समायोजित करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए। ऐरा ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की अनुदान निधि में से किए गए साविध जमा पर अर्जित 0.04 करोड़ रूपए की ब्याज की आय को दर्ज किया है, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप विवरण में आय की राशि अधिक दर्शाई गई और 0.04 करोड़ रूपए की देयता विवरण में शामिल नहीं की गई।		श्स सरकारा खात में जमा करने के लिए विवरण बताया था और तदनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए सावधि जमा पर ब्याज के रूप में प्राप्त 0.04 करोड़ रूपए की राशि इस कार्यालय के दिनांक 06.09.2022 के पत्र द्वारा मंत्रालय को भेज दी गई है। साध-साथ इस टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
ग	सहायता अनुदान: वर्ष 2021-22 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से कुल 24.00 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2021 को अनुदान की अप्रयुक्त 1.22 करोड़ रूपए की राशि और अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित 0.04 करोड़ रूपए की ब्याज की राशि शेष थी। इस 25.26 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2021-22	5	वर्ष 2021-22 के दौरान 25.22 करोड़ रूपए की उपलब्ध कुल निधियों में से ऐरा 20.93 करोड़ रूपए का उपयोग कर पाया और 4.28 करोड़ रूपए की शेष राशि का उपयोग नहीं हुआ। खर्च न किए गए इस अनुदान पर प्राप्त 0.04 करोड़ रूपए की ब्याज की राशि भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए मंत्रालय को भेज दी गई है।
	के दौरान केवल 20.98 करोड़ रूपए ही खर्च कर सका और 4.28 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।		

	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक			
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता 2021-22 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	ऐरा की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा की जाती है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन और मार्च, 2020 से सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों के कारण सभी कार्यालयों में काम ठप्प हो गया था। संभवत: इसी कारण से आंतरिक लेखा परीक्षा दल ने वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए ऐरा कार्यालय का दौरा नहीं किया था। परंतु प्राधिकरण ने अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का समय तय करने के लिए दिनांक 07.04.2021 के पत्र द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग से पहले ही अनुरोध कर दिया था। इस कार्यालय के दिनांक 08.10.2021 के पत्र द्वारा उन्हें अनुस्मारक भी भेजा गया था।		
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत हैं: (i) स्रोत पर काटे गए कर की राशि वापस लेने के लिए कर प्राधिकरण से दावा न करना।	टिप्पणी भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है। स्रोत पर काटे गए कर की राशि वापस लेने का यह मामला प्राधिकृत बैंक के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।		
3.	स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली कोई वस्तु सूची नहीं है।			
5.	काइ वस्तु सूचा नहा हा देय सांविधिक राशि की नियमित अदायगी देय सांविधिक राशि समय पर अदा की गई थीं।			






Annual Report 2021-22

















Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) Annual Report 2021-22

1. Introduction

Consequent to the recommendations of the Sh. Naresh Chandra Committee report, Govt. of India established Airports Economic Regulatory Authority (AERA). It is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. The AERA was established by the Government vide its notification No GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

2. Profile of the Authority's key Officials.

(a) Shri Balwinder Singh Bhullar, Chairperson



Shri Balwinder Singh Bhullar took over as Chairperson, Airports Economic Regulatory Authority of India on 8th July, 2019.

Shri Bhullar hails from Amritsar, Punjab and has a distinguished academic career. After completing B.Sc. (Hons.) and M.Sc. in Agricultural Sciences, he joined the Indian Administrative Services in 1986 in Uttar Pradesh Cadre.

As an IAS officer, Shri Bhullar handled several important positions In the State Government of Uttar Pradesh and Government of India, varying from Administration, Industry, Finance, Power, Urban Development, Transport, Civil Aviation, etc. In the Government of Uttar Pradesh he worked

as District Magistrate of Ghaziabad & Kanpur Nagar, Municipal Commissioner of Varanasi, Joint Managing Director in UP Financial Corporation, Secretary of Irrigation & Water Resources, Principal Secretary in Departments of Transport & Finance, Member of 4th UP State Finance Commission, etc. In the Government of India, he worked as Joint Secretary to 13th Central Finance Commission, Joint Secretary, Department of Expenditure, in the Ministry of Finance, Joint Secretary and Additional Secretary in the Ministry of Civil Aviation and finally as Director General of Civil Aviation (DGCA) before superannuating from the Government Service in May, 2019.

(b) Shri Shirish Krishna Vyawahare, Member



Shri Shirish Krishna Vyawahare has taken over charge as Member, Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) on 1st November, 2021. He obtained the degree of Bachelor of Technology in Civil Engineering from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi in 1983. He has undergone 30 days Advanced Management Programme conducted by Management Development Institute, Gurgaon in September, 2011.

Initially, Shri Vyawahare worked for four years with Gammon India Limited. After joining Airports Authority of India (AAI) in 1989 as Assistant Executive Engineer, he rose to the position of Executive Director, Engineering.

In AAI, Shri Vyawahare executed the work of Civil Aviation Training Centre, a centre of excellence, at Allahabad. He executed the work of New Expandable Modular Integrated Terminal buildings

at Bhopal and Indore Airports and both the Airports were ranked First and Second respectively in the National Competition for Professionals in Structural Steel Design and Construction 2010-11, organized by Institute of Steel Development & Growth. He received "SUPREME ENGINEERS" Award 2012 organized by Economic Research India Pvt. Ltd. for Indore Terminal building and Indian Buildings Congress award 'IBC Trophy 2011' for Bhopal Terminal Building.

Shri Vyawahare received 'SIR VISVESVARAYA AWARD' from Chairman, AAI on 15th September, 2012 for excellent contribution in Engineering Services.

(c) Shri Dharmendra Kumar Kamra (IAP), Member



An Engineering Graduate, with Post Graduate diploma in Construction Management & MBA, Mr. Kamra has completed Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), **conferred with IAP** (International Airport Professional) by Airport Council International (ACI) in association with ICAO. He has successfully completed Professional Courses in "PPP mode of Airport development conducted by Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad, Advance Management Programme on Senior Management development conducted by Management Development Institute (MDI) and Frankfurt Institute of Management, Germany.

After serving Private Sector for 5 years and NDDB (NDRI) for 4 years, Mr. Kamra joined AAI in 1994. He was actively involved in implementation of 35 + 20 non-metro AAI Airport Development and was actively involved in design of Airfield Pavements as well. With his rich Project Planning & Implementation experience, he has earned many accolades in construction industry. After Planning and Implementing Chandigarh International & Jammu Airport terminals (both rated as GRIHA-IV Star by Ministry of Renewable Energy, Government of India), he was awarded CIDC Vishwakarma Award 2016 (Best Construction Project), SKOCH BSE Order of Merit & SKOTCH BSE Award by Bombay Stock Exchange, Indian Building Congress (IBC) award for excellence in Built Environment 2014-15 and Smart Building Award 2016 by Network 18 and Honeywell.

As Executive Director since 2017 in AAI, his contributions were:

- a) As Executive Director North Eastern Region 2017-2019, he was awarded with CHAIRMAN's Excellence Award 2018 by Chairman, AAI for doing turnaround of the entire North-East Region to develop Airfield infrastructure, Cargo etc. Subsequently, he was also awarded with CIDC-2019 Vishwakarma Award in Public Servant category.
- b) As ED (JVC & Tariff), was responsible for planning to implement tariff revision for 83 non-major Airport (2019-20), revision of ANS charges for all Indian Airports in addition to tariff determination of AAI owned Major Airports.
- c) As Regional ED (NR) he was awarded CHAMPION OF UDAN on 22.11.2021 by Hon'ble Minister of Civil Aviation for RCS Airport Development in NR & NER. He was responsible for development of Kushinagar, Gorakhpur, Dehradoon Airports development in addition to 35 NR Airports including Ayodhya and 08 RCS Airports of UP.


Mr. Kamra has represented Airports Authority of India, on the boards as Board Member of the Chandigarh International Airport Limited (CHIAL), a joint venture company of AAI & State Governments of Haryana and Punjab & Ludhiana International Airport Limited (LIAL) and BIS (Bureau of Indian Standards).





3. Organisational structure

Organization structure of the Authority is given below:



AERA's staff comprises of official with experience in the aviation and finance sector on deputation from various Central, State Services & departments/ organizations. At the end of the period of Annual Report, AERA had a total strength of 21 employees including Chairperson, Members & Secretary.

4.1 Scope of the Regulation

The Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) was established in 2009 under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 to regulate tariff and other charges for the aeronautical services rendered and to monitor performance standards at major airports. The Authority finalised its regulatory philosophy and guidelines in 2010-11 for determining the Aeronautical tariff of Airport Operators and Independent Service Providers of Cargo Facility, Ground Handling and supplying Fuel to Aircraft.

4.2 The main functions of the Authority are as under:

- (a) To determine the tariff for the aeronautical services.
- (b) To determine the amount of Development Fees in respect of major airports.
- (c) To determine the amount of PSF levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
- (d) To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any Authority authorized by it in this behalf.

During the FY 2021-22, vide, the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2021, scope of major airport has been expanded, which is extracted below:

During the FY 2021-22, vide, the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2021, scope of major airport has been expanded, which is extracted below:

- "1. (1) This Act may be called the Airports Economic Regulatory of India (Amendment) Act, 2021.
 - (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. In Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, in clause (i), after the words, "any other airport", the words "or a group of airports" shall be inserted."
- 2. As on 31.03.2022, there are 27 Major Airports as per following:
 - 1. Indira Gandhi International Airport, Delhi
 - 2. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai
 - 3. Kempegowda International Airport, Bengaluru
 - 4. Rajiv Gandhi international Airport, Hyderabad
 - 5. Cochin International Airport, Kochi
 - 6. Chandigarh International Airport, Chandigarh
 - 7. Chennai International Airport, Chennai
 - 8. Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata
 - 9. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad
 - 10. Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram
 - 11. Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow
 - 12. Jaipur International Airport, Jaipur
 - 13. Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati
 - 14. Calicut International Airport, Kozhikode
 - 15. Goa International Airport, Goa
 - 16. Pune International Airport, Pune
 - 17. Jay Prakash Narayan International Airport, Patna
 - 18. Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar
 - 19. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
 - 20. Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar
 - 21. Swami Vivekananda Airport, Raipur
 - 22. Tiruchirappalli International Airport, Tiruchirappalli
 - 23. Mangalore International Airport, Mangaluru
 - 24. Kannur International Airport Limited, Kannur
 - 25. Sheikh Ul Alam International Airport, Srinagar
 - 26. Shirdi International Airport, Shirdi
 - 27. Goa International Airport, MOPA, Goa





5. Tariff orders issued by the Authority

During 1st April, 2021 to 31stMarch, 2022, AERA has issued the following Orders based on its approach towards regulation of Airports and Aeronautical Services: -

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue			
Airport	Airport Tariff Orders					
1.	Order no. 07/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff Chandigarh International Airport, Chandigarh, for the Second Control Period (01st April 2021 to 31st March 2026);	20.08.2021			
2.	Order no. 08/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Cochin International Airport, Kochi for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026);	24.08.2021			
3.	Order no. 11/2021-22	Determination Of Aeronautical Tariff for Kempegowda International Airport, Bengaluru (BLR) for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026;	28.08.2021			
	Addendum to Tariff Order no. 11/2021-22	Addendum to Tariff Order No 11/2021-22 In the matter of determination of Aeronautical Tariff for Kempegowda International Airport, Bengaluru (BLR) for the third control period (01.04.2021–31.03.2026);	15-09-2021			
4.	Order no. 12/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff For Rajiv Gandhi International Airport (HYD) Shamshabad, Hyderabad for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026);	31.08.2021			
5.	Order no. 38/2021-22	Determination of Aeronautical Tariffs for Chennai International Airport, Chennai (MAA) for the Third Control Period (01.04.2021–31.03.2026)	04.02.2022			
6.	Order no. 39/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Calicut International Airport (CJJ) for the Third Control Period (01.04.2021-31.03.2026)	11.02.2022			
7.	Order no. 43/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Netaji Subhas Chandra Bose International Airport Kolkata (CCU) for the Third Control Period (01.04.2021 - 31.03.2026).	15.03.2022			
8.	Order no. 45/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Pune International Airport (PNQ) for the Third Control Period (01st April 2021 to 31st March 2026).	17.03.2022			
ISP (Fu	iel Farm & ITP Se	ervices)	ı			
9.	Order no. 06/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for M/s Indian Oil Skytanking Private Limited (IOSPL) providing Into Plane Services at CSMI Airport, Mumbai for the 3rd control period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	13.08.2021			
10.	Order no. 14/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Bharat Stars Services Private Limited (BSSPL) providing Into Plane Services at CSMI Airport, Mumbai for the 3rd Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	03-09-2021			

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
	*Corrigendum to Order No. 14/2021-22	Determination of Into Plane Service charges for Bharat Stars Services Private Limited (BSSPL) providing Into Plane Services (ITP) at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA), Mumbai for the 3rd Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	26.11.2021
11.	Order no. 15/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Bharat Stars Services Private Limited (BSSPL) providing Into Plane Services (ITP) at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore for the 3rd Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	10.09.2021
	*Corrigendum to Order No. 15/2021-22	Determination of Into Plane Service charges for Bharat Stars Services Private Limited (BSSPL) providing Into Plane Services (ITP)) at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore for the 3rd Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	26.11.2021
12.	Order no. 16/2021-22	Determination of Aeronautical Tariff for Indian Oil Skytanking Private Limited (IOSPL) providing Into Plane Services (ITP) at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore for the 3rd Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	15.09.2021
13.	Order no. 0/2021-22	Determination of Fuel Infrastructure Charges in respect of Mumbai Aviation Fuel Farm Facility Private Limited (MAFFFL) at CSMI Airport, Mumbai, for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026);	24.09.2021
14.	Order no. 23/2021-22	Determination of Fuel Infrastructure Charges for Delhi Aviation Fuel Facility Private Limited (DAFFPL) at IGI Airport, New Delhi (01.04.2021 - 31.03.2026);	07.10.2021
15.	Order no. 30/2021-22	Determination of Fuel Infrastructure Charges (FIC) for Indian Oil Skytanking Private Limited (IOSPL) at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026);	07.12.2021
16.	Order no. 44/2021-22	Determination of Fuel Infrastructure Fee for BPCL KIAL Fuel Farm Private Limited (BKFFPL) at Kannur International Airport for the First Control Period (01.04.2018 - 31.03.2023).	15.03.2022
ISP (G	round Handling)		
17.	Order no. 09/2021-22	Determination of Tariff for the 3rd control period (FY 2021-22 to FY 2025-26) in respect of M/s Celebi Airport Services India Private Limited for providing Ground Handling Services at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad.	24.08.2021
18.	Order no. 10/2021-22	Determination of Tariff for the 3rd control period (FY 2021-22 to FY 2025-26) in respect of M/s Celebi Airport Services India Private Limited for providing Ground Handling Services at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore.	27.08.2021





Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
19.	Order no. 29/2021-22	Determination of tariff for Ground Handling services for M/s GSEC Bird Airport Services Private Ltd. at Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	07.12.2021
20.	Order no. 31/2021-22	Determination of Tariff for Ground Handling Services for M/sGlobeGround India Private Limited at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	23.12.2021
21.	Order no. 35/2021-22	Determination of Tariff for Ground Handling Services for M/s GlobeGround India Private Limited at Kempegowda International Airport, Bengaluru for the Third Control Period (FY 2021-22 To FY 2025-26)	20.01.2022
22.	Order no. 36/2021-22	Determination of Tariff for Ground Handling Services for M/S GSEC Bird Airport Services Pvt. Ltd. At Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad for the Third Control Period (FY 2021-22 To FY 2025-26).	28.01.2022
23.	Order no. 41/2021-22	Determination of Tariff for Ground Handling Services for M/s Bird Airport Services (Konkan) Private Limited at Goa International Airport, Goa for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	21.02.2022
24.	Order no. 48/2021-22	Determination of tariff For Ground Handling services for M/s GSEC Bird Airport Services Private Limited at Mangaluru International Airport, Mangaluru for The First Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26)	17.03.2022
25.	Order no. 50/2021-22	Determination of Tariff for Ground Handling services for M/s Bird Airport Services (Mohali) Private Limited at Chandigarh International Airport, Mohali for the Second Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	28.03.2022
ISP (Ca	argo)		
26.	Order no. 27/2021-22	Determination of Cargo Handling charges for M/s Gujarat State export corporation (GSEC) at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad for Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26);	16.11.2021
Interim	Arrangement for	extension	
27.	Order no. 01/2021-22	Interim Order for the period of 01.07.2021 to 31.03.2022 for aeronautical services relating to International Cargo Handling (Exports & Imports at both Air Side & City side) by the Airport Operator, Adani Ahmedabad International Airport Ltd (AAIAL) at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad;	23.06.2021

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
28.	Order no. 02/2021-22	Ad hoc approval of tariff for Cargo Operations for Chandigarh International Airport (CHIAL), Chandigarh, pending determination of regular aeronautical tariff (including cargo tariff) for 2nd Control Period;	24.06.2021
29.	Order no. 03/2021-22	Ad hoc approval of tariff for Ground Handling Services for M/s Bird Worldwide Flight Services India Pvt. Ltd. at Chaudhary Charan Singh International (CCSI) Airport, Lucknow, for a period of six months w.e.f. 01.07.2021 to 31.12.2021;	30.06.2021
30.	Order no. 04/2021-22	Ad hoc approval of tariff for Ground Handling Services to be provided by the SPV M/s Bird Airport Services (Mohali) Private Limited at Chandigarh International Airport, Mohali, for the period from 19.07.2021 to 31.12.2021;	19.07.2021
31.	Order no. 05/2021-22	Ad hoc approval of tariff for Ground Handling Services to be provided by the SPV M/s GSEC Bird Airport Services Private Limited (GBAS) at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad, for the period from 01.08.2021 to 31.12.2021;	29.07.2021
32.	Order No 13/2021-22	In the matter of ad hoc Tariff for Ground Handling Services for M/s GSEC Bird Airport Services Private Limited (GBAS) at Chaudhary Charan Singh International (CCSI) Airport, Lucknow, for a period of four months w.e.f, 01.09.2021 to 31.12.2021;	01.09.2021
33.	Order No 17/2021-22	In the matter of Order no. 65/2020-21 dated 24.03.2021 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators - Interim arrangement to levy the existing tariffs to continue beyond 30.09.2021 for their respective Control Period;	15-09-2021
34.	Order No 18/2021-22	In the matter of Order no. 67/2020-21 dated 25.03.2021 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Independent Service Providers/Airport Operators of Cargo Handling, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft- Interim arrangement to levy the existing tariffs to continue beyond 30.09.2021- for their respective control period;	15-09-2021
	Amendment to Order No. 18/2021-22	Aeronautical Services provided by Independent Service Providers/Airport Operators of Cargo Handling, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft- Interim arragement to levy the existing tariffs beyond 30.09.2021- for their respective control period;	01-10-2021
35.	Order No 19/2021-22	In the matter of Order no. 65/2020-21 dated 24.03.2021 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators AAI - Interim arragement to levy the existing tariffs beyond beyond 30.09.2021- for the Third Control Period;	22-09-2021





Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
36.	Order No 21/2021-22	In the matter of ad hoc Tariff Ground Handling Services to be provided by the M/s Global Flight Handling Services (Pune) Pvt. Ltd. at Pune International Airport, Pune, for the period from 01.10.2021 to 31.03.2022;	01-10-2021
37.	Order No 22/2021-22	In the matter of interim arrangement to levy the existing tariffs in respect of the International Airports of Jaipur (JIA), Trivandrum (TVM) and Guwahati (GAU)-Commencement of Commercial Operations by new Operator M/s Adani;	06-10-2021
38.	Order No 24/2021-22	In the matter of Determination of Tariff for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26) in respect of M/s Celebi Airport Services India Private Limited for providing Ground Handling Services at Cochin International Airport;	14-10-2021
39.	Order No 25/2021-22	In the matter of economic regulation of aeronautical services relating to CTO operations by the M/s AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Ltd. (AAICLAS) at Chennai International Airport, Chennai – Interim Order for the period 25.10.2021 to 31.03.2022;	25-10-2021
40.	Order no. 26/2021-22	Determination of Ad hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by the SPV M/s IndoThai Kolkata Pvt. Ltd., at Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata, for the period from 01.12.2021 to 31.03.2022;	15.11.2021
41.	Order no. 28/2021-22	Ad hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by the SPV M/s GSEC Bird Airport Services Pvt. Ltd, for the period from 18.11.2021 to 31.03.2022.	18.11.2021
42.	Order no. 32/2021-22	In the matter of Order no. 05/2021-22 dated 29.07.2021 regarding ad hoc Tariff Order for Ground Handling Services provided by M/s GSEC Bird Airport Services Private Limited (GBASPL) at SVPIA, Ahmedabad for the period from 01.08.2021 to 31.12.2021 – Extension of ad hoc Tariff Order up to 28.02.2022.	31.12.2021
43.	Order no. 33/2021-22	In the matter of Order no. 04/2021-22 dated 19.07.2021 regarding ad hoc Tariff Order for Ground Handling Services provided by M/s Bird Airport Services (Mohali) Private Limited at Chandigarh International Airport, Mohali for the period from 19.07.2021 to 31.12.2021 – Extension of ad hoc Tariff Order up to 31.03.2022.	31.12.2021
44.	Order no. 34/2021-22	Determination of ad hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Indothai Airport Management Services Pvt. Ltd., at Jaipur International Airport, for the period from 16.01.2022 to 31.03.2022.	14.01.2022

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
45.	Order no. 37/2021-22	Determination of ad hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Indo Thai Airport Management Services Pvt. Ltd., at Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati for the period from 01.02.2022 to 31.03.2022.	01.02.2022
46.	Order no. 40/2021-22	Determination of Ad Hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Global Flight Handling Services (Patna) Pvt. Ltd. At Jai Prakash Narayan International Airport, Patna for the Period From 15.02.2022 To 31.03.2022.	11.02.2022
47.	Order no. 42/2021-22	In the matter of Order no. 17/2021-22 dated 15.09.2021 and Order no. 22/202122 dated 06.10.2021 regarding - Interim arrangement to levy the existing tariffs to continue beyond 31.03.2022.	14.03.2022
48.	Order no. 46/2021-22	In the matter of Order no. 18/2021-22 dated 15.09.2021 regarding Services provided by Independent Service Providers/ Airport Operators for Cargo Handling, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft - Interim arrangement to levy the existing Tariffs beyond 31.03.2022.	17.03.2022
49.	Order no. 47/2021-22	In the matter of Determination of Ad-hoc Tariff for Cargo Handling Services to be provided at Thiruvananthapuram International Airport, Thiruvananthapuram by TRV (Kerala) International Airport Ltd (TIAL) for the period from 01.04.2022 to 30.09.2022.	17.03.2022
50.	Order no. 49/2021-22	In the matter of levy of Development Fee (DF) for Project Work and Metro Work at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai - Extension of period of levy of DF - reg.	28.03.2022

6. Monitoring of Performance Standards

One of the key functions of AERA is "to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of services as may be specified by the Central Govt. or any authority authorised by it in this behalf". Service standards are defined for Bangalore, Hyderabad, Delhi & Mumbai Airports in the respective concession agreements. Similarly, Airport Authority of India enters into MoU with MoCA to achieve certain level of rating as Airport Service Quality (ASQ)issued by Airports Council International (ACI).

The authority is currently relying on the ratings given by various agencies such as ACI, Skytrax etc. appointed by the airport operators to monitor the performance standards at the airports.





7. Court Cases in AERA

At the end of the period, forty-four cases are pending in the various Courts/Tribunal in respect of various tariff orders issued by AERA. Thirteen (13) new cases were filed and three (03) cases were disposed of during the year 2021-22. The details of pending cases as on 31.03.2022 are as under:

Sl. No.	Court/Tribunal	No. of cases
1.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)	28
2.	Supreme Court of India	13
3.	High Court of Delhi	02
4.	High Court of Karnataka	01
	Total cases	44

8. Administrative & Establishment matters

(a) Joining of New Officers

The strength of Officers in the Authority increased consequent upon joining of qualified and experienced Officer on deputation to the post of Bench Officer from AAI to AERA.

(b) Organization of Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness

As per directions received from MoCA, Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness was observed in the Authority during 2nd Oct 2021 to 31st Oct 2021. During the Special Campaign, AERA building and its surroundings were cleaned and beautified; old & condemned furniture, e-waste (650 Kg) and other scrap items were disposed off in an eco-friendly manner. Waste papers totaling 3500 Kgs were given for recycling against which 1 lakh sheets of recycled papers were obtained.

Consequently, on directions of MoCA, weekly Special Drives were conducted every Friday from 17:00 Hrs to 20:00 Hrs, during which, all officers and officials reviewed the files /documents no longer relevant and segregated the same for weeding out as also cleaned respective workplace & drawers etc.

(c) Implementation of Official Language Policy of Government

All out efforts were made for implementation of the Official Language Policy of the Government in AERA. In order to create a conducive environment for doing official work in Hindi, various competitions on the occasion of National Festivals as well as Birth Anniversaries of the prominent personalities were held in the office. During these events, various prizes were also distributed amongst the winners.

Apart from this, Hindi fortnight was organized from 1st to 15th September, 2021 and various Hindi competitions were organized, in which 95 officials participated with a great zeal. Winners were awarded with the cash prize and merit certificate. In addition to this, the Important Quotes given by the distinguished persons in the context of importance of Hindi language were also displayed at various places in the office.

Besides, a Official Language Conference (Rajbhasha Sammelan) was also organized in which lectures on the topics- 'Official Language Policy', 'How to work in Hindi on the Computer and Mobile Platform', 'Requirement of doing work in Hindi in the independent India' and 'Noting and drafting in Hindi',

were delivered. The conference was attended by 36 officials. 4 Hindi Workshop Programs for officers /employees were organized from 01.04.2021 to 31.03.2022 in which a total of 93 Officers/employees participated.

Meetings of the Official Language Implementation Committee chaired by the Chairperson, AERA were held regularly in each quarter during the year. Hindi Incentive Scheme of government has also been implemented in the Authority with a view to motive the officers/employees to do their maximum work in Hindi. Cash prizes amounting to a total of ₹ 30,000/- and citation certificates were awarded to the 10 officials who were declared winners in this scheme during the year 2020-21.

The Ministry of Civil Aviation has done inspection of AERA on 29th March, 2022 regarding the work of Official Language Policy. Ministry appreciated and found this work satisfactory.

(d) Women Welfare including Gender Budgetary Data

AERA has 14 Women employees comprising of officers/staff on deputation from various Central/State Government Organizations, loan basis from AAI and support staff working on outsourced basis. Adequate women welfare measures like provision of transport/vehicle for pick up/drop at home in case of medical emergency or early arrival/late departure from office due to official exigencies of work; organization of talk/ on specific women health issues by gynaecologist; dedicated female housekeeping staff for female washrooms etc. have been made available in the office premises.

(e) Public Grievance Redressal Machinery

The Authority is registered with the Central Public Grievances portal of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

(f) Pollution Control

The Authority encourages and accordingly incentivises the airports during the tariff determination process for environmental friendly measures undertaken by them. These broadly include use of solar/renewable energy, rain water harvesting, recycling of water through treatment plant etc. During the Special Campaign organized during October 2-31, 2021, special teams of AERA officers conducted inspections at few major airports viz. Delhi, Hyderabad, Mangalore and Kolkata with respect to environmental friendly and pollution control initiatives and measures undertaken by them.

(g) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2022

The Authority recruits officers & staff of AERA on deputation basis only and, hence, reservation policy is not directly applicable. However, officers and staff of AERA have sufficient representation of SC, ST and OBC categories.

(h) Facilities for differently abled persons

AERA is housed in a rented building belonging to Air India(now AIAHL) with lift installed and working for accessibility of the differently abled. Washrooms have been made friendly for the differently abled by making them accessible through ramps and support handles. AERA Website is friendly for the differently abled.





(j) Major Achievements

The Authority determined tariffs for Major Airports at Chandigarh (Order no. 07/2021-22 dated 20.08.2021), Cochin (Order no. 08/2021-22 dated 24.08.2021), Bangalore (Order no. 11/2021-22 dated 28.08.2021), and Hyderabad (Order no. 12/2021-22 dated 31.08.2021) for the Control Period 01.04.2021 to 31.03.2026. The Authority also determined tariffs for the Control Period 01.04.2021-31.03.2026 in respect of AAI Airports i.e. Chennai, Calicut, Kolkata & Pune Airports.

In addition, the Authority has also determined Tariffs in respect of Independent Service Providers (ISPs) in respect of services relating to Cargo, Ground Handling & Supply of Fuel to the aircraft at various Major Airports.

During the period of the report i.e.1st April, 2021 to 31st March, 2022 a total of 50 Tariff Orders were issued by AERA for different AO and ISPs as enumerated below:

S.No.	Type of Tariff Orders (including Interim Tariff Orders)	Number of Orders
1.	Airport Tariff Orders	16
2.	Independent Service Providers	34
	Total	50

9. Budget

Funding structure

AERAreceives its funding through Grants-in-Aid from the Government. During FY 2021-22, a sum of Rs.24.00 crores was received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services.

10. Regulatory Advocacy and protection of interest of users

The Authority officials participate in seminars / workshops to disseminate information on the functions and activities of the regulatory philosophy. AERA is also a member of the Forum of Indian Regulators and regularly involves in its activities to keep abreast with developments in other Regulatory Authorities.

11. Capacity Building

The Authority encourages and nominates its officers and staff for participation in various Training Programmes/ Seminars/ Workshops relevant to functioning of the Authority.

12. Accounts & Audit

Income & Expenditure Account for the FY 2021-22 and Balance Sheet as on March 31, 2022 are enclosed.



















Annual Statement of Accounts 2021-22





















FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	00.00.044.40	4 74 20 204 40
_	-99,83,044.48	-1,74,28,394.48
1	(a)	
3	8,00,00,000.00	(4)
4		120
5	-	
6	-	
7	5,82,84,949.02	3,39,82,354.00
	12,83,01,904.54	1,65,53,959.52
8	8,00,00,156.00	50.00
9	5-	172
10		-
11	4,83,01,748.54	1,65,53,909.52
	A 100 W	8
	12,83,01,904.54	1,65,53,959.52
	-	
24		
25		
	1 2 3 4 5 6 7	1 -99,83,044.48 2 - 3 8,00,00,000.00 4 - 5 - 6 - 7 5,82,84,949.02 12,83,01,904.54 8 8,00,00,156.00 9 - 10 - 11 4,83,01,748.54

On behalf of management of AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN Designation: SECRETARY

Date:

MANU SOODEN Secretary

Airports Economic Regulatory Authority of India (Ministry of Civil Aviation)

69

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Opening Balances a) Cash in hand b) Bank Balances			1. Expenses a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20) b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	3,91,40,271.00	4.01,69,261.48
i) in current accounts (schedule 1.1) ii) in deposit accounts iii) in savings accounts	1,54,50,167.52	1,89,54,014.00	Advance Payments to Vendors /Employees	¥	52,000.00
II.Grants Received a) From Government of India - Revenue (Schedule 13) b) From Government of India - Capital (Schedule 3) c) From State Government d) From other sources (details) (grant for rapital & revenue exp to be show separately)	15,71,86,554.00 8,28,13,446.00	10,35,56,548.00	II. Payment made against funds for various projects [Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
III.Income on investments from a) Farmarked/Endow. Funds b) Own funds (other investment)		B	III Investments and deposits made a) Out of Earmarked/Endowment funds b) Out of Own Funds(Investments-Others)	8 *	
W.Interest Received a) On Bank Deposits b) Loans, Advances etc.	4,19,439.00	73,727.00	IV.Expenditure on Fixed Assets & Capital Work -in-progress a) Purchase of fixed Assets b) Expenditure on Capital Work-in-progress	28,13,446.00	12.43 452.00
V.Other Income (Schedule 18)	62,687.00	21,355.00	23,355.00 V.Refund of surplus money/Loans a) To the Government of India b) To the State Government c) To the Other providers of fund		8 4
VI. Amount Borrowed		8	VI.Finance Charges. Vii. Other Payments(Specify) a) Duties and Taxes	1.14,92.301.00	89,84,398.00
VII. Any other reseipts	17,82,328.02	7,90,857.00	b) Security Deposit refunded VIII. Closing Balances a) Cash in hand b) Bank Balances (schedule 11) i) in current accounts ii) in deposits accounts	6,00,000 00 25,21,771.54 4,43,38,578.00	-3,76,546 00 1,54,50,187.52
Total	25,73,38,075.54	12,46,49,953.00 Total	III) in savings Accounts Total	25,73,38,075.54	12,46,49,953.00
lotal	73,73,38,073,34	12,45,49,353.00	Total	43,13,35,017.34	1

On behalf of management of AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN Designation: SECRETARY Date:

MANU SOODEN
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of India
(Ministry of Civil Aviation)





FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

		(AMOUNT Rs.
SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
12	_	
1 2	15 71 86 554 00	10,35,56,548.00
1	13,71,00,334.00	10,55,50,540.00
-	-	-
16	_	
17	4.23.877.00	83,960.00
18		21,355.00
17.0	,	7-7
19	*	-
-	15.76.73.118.00	10,36,61,863.00
20	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48
21	10,35,64,695.00	5,83,08,455.00
8	2	2
22	140	
23	(5)	F
	15,02,27,768.00	10,44,34,964.48
	74,45,350.00	(7,73,101.48
		• • • •
	-	-
	74.45.350.00	(7,73,101.48
	, .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(7,7,5,252.40
24		
25		
	12 13 14 15 16 17 18 19	12 13 15,71,86,554.00 14 15 16 17 4,23,877.00 18 62,687.00 19 15,76,73,118.00 20 4,66,63,073.00 21 10,35,64,695.00 8 22 23 15,02,27,768.00 74,45,350.00 74,45,350.00

On behalf of management of AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN Designation: SECRETARY

Date:

MANU SOODEN

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

			(ANIOUNI KS.)
SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balance as at the beginning of the year		-1,74,28,394.48	-1,66,55,293.00
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			
Add/ (Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account		74,45,350.00	-7,73,101.48
BALANCE AT THE YEAR END		-99,83,044.48	-1,74,28,394.48

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Capital Reserve			
As per last Account		-	-
Addition during the year			
Less: Deduction during the year		-	-
2. Revaluation Reserve			
As per last Account			(5)
Addition during the year		-	
Less: Deduction during the year			-
3. Special Reserve			
As per last Account			
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		150	
4. General Reserve			
As Per last Account			
Addition during the year			-
Less : Deduction during the year			-
TOTAL		<u> </u>	-

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of the Funds			
b) Additions to the Funds			
i) Donations/Grants		8,00,00,000.00	_
ii) Income from Investments made on account of funds		0,00,00,000.00	
iii) Other additions			i a
Total (a+b)		8,00,00,000.00	
c) Utilisation of Funds			
i) Capital Expenditure			
- Fixed Assets		-	-
- Others			
Total		-	
ii) Revenue Expenditure			
- Salaries, Wages and allowances etc.		623	2
- Rent			
- Other Administrative expenses		-	
Total		-	2
Total (C)		8,00,00,000.00	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)			





SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		_	
2. State Government (Specify)			
3. Financial Institutions			
a) Terms Loans			
b) Interest accrued and due			8
4. Banks :			
a) Terms Loans			
Interest accrued and due		-	-
b) Other Loans (Specify)			
Interest accrued and due			5:
5. Other Institutions and agencies			*
6. Debentures and bonds		-	3
7. Others (Specify)		-	*
TOTAL		 	-

Note: Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government			-
2. State Government (Specify)	1	-	-
3. Financial Institutions		-	
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	
b) Other Loans (Specify)			
5. Other Institutions and agencies			
6. Debentures and bonds			-
7. Fixed Deposits			_
8. Others (Specify)			-
TOTAL		-	-

Note: Amount due within one year

SCHEDULE 6 - DEFFERED CREDIT LIABILITIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets			
b) Others		-	
TOTAL			

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	(AMOUNT Rs. PREVIOUS YEAR
SCHEDOLL / COMMIT BROKEN COMMITTED AND TRANSPORTED AND TRANSPO		COMMENTICAN	THE TOO TENT
A) CURRENT LIABILITIES			
1. Acceptances	and the second	- 1	
2. Sundry Creditors :			
a) For Goods			-
b) Others	1		75,19,625.00
3. Advances Received	and the state of t	-	- 4
4. Interest accrued but not due on :	-		
a) Secured Loans/ borrowings		-	g g
b) Unsecured Loans/ borrowings		-	-
5. Statutory Liabilities :			
a) Over due		-	-
b) Others	2	1,61,032.00	6,37,345.00
6. Other Current Liabilities	2 3	22,43,709.02	10,58,751.00
7. Deferred Grant Income (Refer Foot Note)		135.00	29.00
TOTAL (A)		24,04,876.02	92,15,750.00
B) PROVISIONS			
1. For Taxation	and the second s		
2. Gratuity		-	4
3. Superannuation/Pension		-	20
4. Accumulated Leave Encashment		-	
5. Trade Warranties/Claims	MANAGE AND		-
6. Other	4	5,58,80,073.00	2,47,65,604.00
TOTAL (B)		5,58,80,073.00	2,47,66,604.00
TOTAL (A+B)		5,82,84,949.02	3,39,82,354.00

Foo	te	No	te:

Opening balance at the beginning of the year Grant received during the year Grant amortized during the year & netted off with the Fixed Assets Closing balance at the end of the year 29.00 -28,13,446.00 12,43,452 28,13,340.00 12,43,423 135 29

MANU SOODEN





SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31,03,2022

Schedule-8

The state of the s		GROSS BLOCK	BLOCK			DEPREC	DEPRECIATION		NET BLOCK	¥
DESÇRIPTION	Cost/Valuation as at beginning of	Additions during the year	Deduction during the year	Cost / Valuation at the end year	As at the beginning of the	On Addition s during	On Deduction s during the year	Total up to the	As at the Current year end	As at the Previous year end
A.FIXED ASSESTS	les kear									
	1.1	0				•		*		10
a) reemon		5 (w)		4)	160	840	77	0	183	
2. BUILDINGS			٠		*		•	c		
a) On Heasehold Land	1.00	,	,	1.00	31	100	a		001	001
c) Ownership Flats/Premises	8.			٠	,	¥.	•5	6	5960	9
d) Superstructures on Land not belonging to the			•		•	,	T.	0		
entity			44/0							
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	1.00	18.	,	1.00	•	40	ŧ0		1.00	90 1
A VEHICLES		10		(4)		34	90		**	*
S. FURNITURE, FIXTURES	5.00	2.00		7.00	*	•	411	(0)	50 2	150
6. OFFICE EQUIPMENT	12.00	44.00		26.00		Ö.	*		8 4	202
7.COMPUTER/PERIPHERALS	17.00	00.64		00'99		E		1	00 99	16.00
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	14.00	11.00	(())	25.00		3	3	8	8	170.51
9. LIBRARY BOOKS		*	,		•	10	E	4		3
10. TUBEWELLS & W.SUPPLY		elli		(jŧ		*	к	16		
11. OTHER FIXED ASSESTS	*	•	٠	8.	**	AT.				
TOTAL OF CLIBBENT VEAR - A	50.00	106.00		156.00				,	156.00	20.00
PREVIOUS YEAR	21.00	29.00		20.00					20.00	21.00
a Cabital WORK-IN-PROGRESS		8,00,00,00,00		8.00.000.000.00	•		-		00.000,000,00,8	
TOTAL OF CURRENT YEAR - B		8,00,00,00,000.00		8,00,00,000,00	٠				8,00,00,00,000.00	
PREVIOUS YEAR				,		,				
A TOTAL CONTRACTOR CON									00000	000
TOTAL OF CURRENT YEAR - C=(A+B)	20.00	8,00,00,106.00		8,00,00,156.00	7				8,00,00,155.00	1
PREVIOUS YEAR	21.00	29.00	•	20.00					20.00	

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

			(AMOUNT Rs.
SCHEDULE 9: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 to Company and Compilities			
1. In Government Securities		-	-0.
2. Other approved Securities	1	-	61
3. Shares			27
4. Debentures and bonds			*
5. Subsidiaries and joint ventures		-	8
6. Others (to be Specified)			3
TOTAL		 	

SCHEDULE 10: INVESTMENTS- OTHERS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities			ā.
2. Other approved Securities			9
3. Shares		-	
4. Debentures and bonds		*	
5. Subsidiaries and joint ventures	1	-	-
6. Others (to be Specified)		-	2
TOTAL			-

MANU SOODEN





SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

			(AMOUNT Rs.
SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A.) CURRENT ASSETS			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares			
b) Loose Tools			
		1	
c) Stock in Trade			
Finished Goods			-
Work-in-Progress		1	*
Raw Materials	1	-	-
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months			
b) Others		- 1	-
Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		-	
4. Bank Balances :			
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts		25,21,771.54	-3,76,546.00
On Deposit Accounts (includes margin money)		4,43,38,578.00	1,54,50,167.5
On Savings Accounts			-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts			4
On Deposit Accounts (includes margin money)			-
On Savings Accounts			
5. Post Office Savings Accounts	İ	-	-
TOTAL (A)		4,68,60,349.54	1,50,73,621.52
B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS			
1. LOANS:			
a) Staff		-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that			
of the Entity			
c) Other (Specify)			*
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind		- 1	-
for value to be received :			
a) On Capital Account (Airport Authority of India)			
b) Prepayments		17,724.00	_
c) Others	5	14,19,237.00	14,80,288.00
3. Income Accrued :		1,,13,237.00	14,00,200.0
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund			_
b) On Investment - Others			
c) On Loans and Advances			[편] [편]
d) Others		4,438.00	-
of others		4,436.00	·
4. Claim Receivable :			
TOTAL (A.P.)		14,41,399.00	14,80,288.00
TOTAL (A+B)		4,83,01,748.54	1,65,53,909.52

MANU SOODEN Secretary

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES / SERVICES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Sales			
a) Sale of Finished Goods			
b) Sale of Raw Material		-	-
c) Sale of Scraps			-
2. Income from Services			
a) Labour & Processing Charges	1	-	-
b) Professional / Consultancy Services	1	-	
c) Agency Commission and brokerage	1		
d) Maintenance Services (Equipment / property)	1	9	-
e) Other (Specify)		-	
TOTAL		 	

SCHEDULE 13: GRANTS / SUBSIDIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1. Central Government (Refer Foot Note)		15,71,86,554.00	10,35,56,548.00
2. State Government (s)			
3. Government Agencies			
4. Institutions / Welfare Bodies		- 1	
5. International Organisations			
6. Others (Specify)		-	4
TOTAL		15,71,86,554.00	10,35,56,548.00

Foo	te	N	0	ŧ	e	:

Net Grant	15,71,86,554.00	10,35,56,548.00
Fixed Assets purchased during the year	28,13,446.00	12,43,452.00
Irrevocable Grants & Subsidies Received from Central Government	16,00,00,000.00	10,48,00,000.00

CHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Entrance Fees		-	-
2. Annual Fees / Subscriptions			-
3. Seminar / Program Fees		-	-
4. GPF Subscription		-	-
5. Others (Specify)		-	5
OTAL		1	

MANU SOODEN





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2022

	Investment fr	Investment from Farmarked	Investn	Investment Others
SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)				
1. Interest				
a) On Government Securities	ř	•	f	*
b) Other Bonds / Debentures	9	•	2	
2. Dividend				
a) On Share	i			,
b) On Mutual Fund Securities	,		31	,
3. Rents		X	T.	R
4. Others (Specify)	,	*	ľ	,
14404				
TOTAL	•	•	,	

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Royalty			140
2. Income from Publications	l l		
3. Others (Specify)			320
TOTAL			

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 17: INTEREST EARNED	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Term Deposits :			
a) With Schedule Banks	l l	4,23,877.00	83,960.00
b) With non-Schedule Banks	1	10 10 (at)	(2)
c) With Institutions	1	120	121
d) Others		-	
2. On Savings Accounts :			
a) With Schedule Banks		- 1	
b) With non-Schedule Banks	1	-	
c) Post Offices Savings Account	-		
d) Others		-	
3. On Loans:			
a) Employees / Staff		-	1 10
b) Others			
4. Interest on Debtors and other Receivables			
TOTAL		4,23,877.00	83,960.00

SCHEDULE 18: OTHER INCOME	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Profit on sale / disposal of assets :			
a) Owned assets	1	-	(4)
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	1	18	
2. Exports incentives realized			
3. Fees for Miscellaneous Services	6	30.00	10.00
4. Miscellaneous Income	7	62,657.00	21,345.00
TOTAL		62,687.00	21,355.00

MANU SOODEN





SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a).Closing Stock			
- Finished Goods			
- Work-in-progress		-	
b). Less: Opening Stock			
- Finished Goods			-
- Work-in-progress	Total de la constant	-	
IET INCREASE / (DECREASE) (A-B)	1	 	

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	8	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48
b) Allowances and Bonus			
c) Contribution to Provident Fund			2
d) Contribution to other fund (Specify)		-	
e) Staff Welfare Expenses			
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits			2
g) Others (Specify)			-
TOTAL	interior in the second	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
al Purchases			
b) Labour and processing expenses			
c) Cartage and carriage inwards			
d) Electricity and power		14 41 001 00	21 27 404 00
e) Water Charges		14,41,901.00	21,37,404.00
) Insurance	1		-
Repairs and maintenance	1	22 20 770 00	24 20 007 00
h) Excise Duty		22,29,778.00	24,20,997.00
Rent, Rates and Taxes		1.05.31.354.00	1.05.31.261.00
Vehicle Running & maintenance Expenses		1,05,21,364.00	1,05,21,364.00
k) Postage, Telephone and Communication charges	1	3 15 330 00	4 20 022 0
Printing and stationery	1	3,15,329.00 3,38,636.00	4,20,023.00
m) Travelling and Conveyance Expenses			4,37,673.00
n) Expenses on Seminar/Workshops	1	4,66,479.00	5,42,921.00
o) Subscription Expenses	1	1,00,000.00	1 00 000 00
p) Expenses on Fees		1,00,000.00	1,00,000.00
a) Auditors Remuneration		3,00,000.00	3,00,000.00
r) Hospitality Expenses	1	99,295.00	71,085.00
s) Professional Charges		1,91,91,681.00	1,55,60,587.00
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		1,91,91,081.00	1,33,00,387.00
Irrecoverable Balance Written Off			ž.
v) Freight and forwarding Expenses			-
w) Distribution Expenses		191	
x) Advertisement and publicity		3,68,105.00	4,28,240.00
y) AMC Charges		11,38,189.00	20,31,994.00
z) Manpower Hiring		6,59,05,344.00	2,10,44,544.00
aa) Others	9	11,48,594.00	
Day Others	,	11,40,394.00	22,91,623.00
TOTAL		10,35,64,695.00	5,83,08,455.00

Foot Note:

Prior Period items

Prior Period Items	6		
Particulars		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Manpower Hiring		2,04,30,396.00	
AMC Charges	CODEN	1,28,810.89	1 2 2
Travelling and Conveyance Expenses	MANU SOODEN	71,116.00	*

Postage, Telephone and Communication charges	17,075 00	9
AMC Charges	9,219.38	
Others	21,210.00	
	2,06,77,827.26	

SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Grants given to Institutions / Organisations	Ū	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations			-
TOTAL	1000	 	

SCHEDULE 23: INTEREST	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans			-
b) On Other Loans (including Bank Charges)		-	-
c) Others (Specify)	w.	20	
TOTAL		-	





SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

- 2.1 Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2 Raw material, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. INVESTMENTS

- 3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expansion like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY Not Applicable

MANU SOODEN

Secretary

5. FIXED ASSETS

- 5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in Aid received from government. According to Accounting Standard 12, such grants are treated as Capital Grants. Grants are deducted from the gross value of the assets at the time of capitalization of assets in arriving at its book value. When the grant is equal to the cost of the asset, the asset is shown in the balance sheet at nominal value at INR 1/-.
- 5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve.

6. DEPRECIATION

- 6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in Aid received from Government.
- 6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of Income Tax Act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/or less are fully depreciated in the year of acquisition.

7. MISCELLANEOUS EXPENSES

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the date it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES Not Applicable

9. GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the related assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.
- 9.4 Refer schedule no. 13 for the grants received during the current year and previous year. Further, no non-monetary grant received during the current year and previous year.





10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year end. The resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other case is considered to revenue.

11. LEASE

Lease payments of INR 1,05,21,364.00 (PY INR 1,05,21,364) is recognized in the Income and expenditure account for the current year.

12. RETIREMENT BENEFITS

- 12.1 Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) appoints the staff purely on Deputation/Short term contract basis from amongst the official working in Central Govt/Central Public Sector undertaking/Autonomous bodies in accordance with the 'Airports Economic Regulatory Authority Employees (Number of posts and conditions of service) Rules, 2011'. AERA is not liable to pay gratuity to its employees. Hence, no provision has been made in AERA books for such benefits.
- 12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that they are entitled to receive the benefit as at each year end.

Place: New Delhi

Name: Col MANU SOODEN
Designation: SECRETARY

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2022

SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

Claims against the Company/ disputed demands not acknowledged as debt:

Reimbursement of Salary to AAI

Nil (PY INR 11,61,68,597)

2. CAPITAL COMMITMENTS

AERA's share on account of Capital commitments is INR 10.38 crore (PY INR 18.38 crores) in respect of construction of combined operational offices for DGCA, BCAS, AAIB and AERA at Safdarjung Airport, New Delhi.

AERA has received a mandate of INR 16.542 crores (90% of INR 18.38 crores) during the year and has paid INR 8 crores to Airport Authority of India.

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amounts to Rs. Nil.

4. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax act 1961, no provision for income tax has been made





6. <u>FO</u>	REIGN CURRENCY TRANSACTIONS	CURRENT YEAR PREVIO	US YEAR
6.1 <u>V</u> a	- Purchase of finished goods - Raw Materials & Components - Capital Goods - Stores, Spares and Consumables	SIS NIL	NIL
6.2 <u>E</u>	xpenditure in foreign currency:		
	a) Travelb) Remittance and interest payment to Financial institutions/banks	NIL	NIL
	In foreign currency-	NIL	NIL
	c)Other expenditure	NIL	NIL
	- commission on sales	NIL	NIL
	-legal and professional expenses	NIL	NIL
	- Miscellaneous expenses	NIL	NIL
	- Miscellaneous expenses	INIL	NIL
6.3 <u>Ea</u>	arnings:		
	Value of exports on FOB	NIL	NIL
6.4 B	Remuneration to C & AG Auditors		
0.4. <u>N</u>	As Auditors	2 00 000 00	2 00 000 00
	As Auditors	3,00,000.00	3,00,000.00
	Taxation MattersFor Management ServicesFor certification		
	Others	NIL	NIL
7.	Corresponding figures for the previous whenever necessary.	us year has been regroupe	ed/rearranged
8.	Schedules 1 to 25 are annexed to and for at 31.03.2022 and the income and expedate.		
		(/	2/

Place: New Delhi

Name: Col MANU SOODEN
Designation: SECRETARY

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA ANNEXURES TO BALANCE SHEET

		(AMOUNT Rs.)
Annexure: 1 Sundry Creditors	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Airport Authority Repair & Maintenance	-	75,19,595.00
MTNL		30.00
Shri Digvijay Rai		
Total		75,19,625.00

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 2 Statutory Liabilities	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
TCS	-	-
CGST GST TDS @ 1%	67,341.00	30,759.00
IGST GST TDS @ 2%	26,350.00	74,931.00
SGST GST TDS @ 1%	67,341.00	30,759.00
TDS 192A		57,543.00
TDS 194C		26,522.00
TDS 194 I	176	1,11,455.00
TDS 194 J		3,05,376.00
Total	1,61,032.00	6,37,345.00

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 3 Other Current Liabilities	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Security Deposit	4,53,751.00	10,53,751.00
Pay & Accounts Officer, Ministry of Tourism, ND	17,82,328.02	*
Unpresented Cheques	2,630.00	8
Copier Maintenance Corporation(EMD)	5,000.00	5,000.00
Total	22,43,709.02	10,58,751.00

(AMOUNT Rs.)

(ANOON)		
Annexure : 4 PROVISIONS(Others)	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Pension & Salary Provision	18,00,000.00	18,00,000.00
Professional Fee Provision	6,90,432.00	25,52,578.00
Provision for AMC	4,71,403.00	1,20,323.00
Provision for AAI Vehicle	23,93,000.00	23,93,000.00
Provision for Audit Fee	9,00,000.00	6,00,000.00
Provision for Hiring Vehicle	61,979.00	72,456.00
Provision for Hiring Gardener	2,000.00	= 0.0000 to 0.00
Provision for House Keeping Expense	1,29,723.00	60,430.00
Provision for Manpower Outsourcing	4,06,53,192.00	75,23,821.00
Property Tax Aera		15,00,000.00
Provision for Electricity & Power	2,01,386.00	21,37,404.00
Provision for Repair & Maintenance Charges	41,58,869.00	20,09,758.00
Provision for Other Expenses	2,36,629.00	1,97,715.00
Provision For Salary Exp	38,03,460.00	33,94,119.00
Provision for CEA	3,78,000.00	4,05,000.00
Total	5,58,80,073.00	2,47,66,604.00

MANU SOODEN Secretary





(AMOUNT Rs.)

		(MINIOUNI NO.)
Agnexure : 5 Advances and other amounts recoverable in cash or in kind (Others)	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Airport Authority of India	7,55,671.00	7,55,671.00
Advance Payment	1,182.00	9
Sh BS Bhullar	+)	45,000.00
Festival Advance to Employee	000	7,000.00
Airport Authority of India	5,41,645.00	5,41,645.00
Energy Efficiency Services Limited	1,20,739.00	1,20,739.00
TDS Deducted (Recoverable from ICICI)	-	10,233.00
Total	14,19,237.00	14,80,288.00

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 6 Fees for Miscellaneous Services	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Postal order / RTI Fees	30.00	10.00
Total	30.00	10.00

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 7 Miscellaneous Income	CURRENT YEAR (21-2	2) PREVIOUS YEAR (20-21)
Sale of old furniture and scrap	15,5	50.00
Other Receipt	34,3	37.00
Sale of Laptop	12,7	70.00 21,345.00
Total	62,6	57.00 21,345.00

(AMOUNT Rs.)

Annexure: 8 Salaries and Wages	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Salary Exp	3,92,58,568.00	3,82,03,568.48
Employer's Contribution Towards NPS	21,50,861.00	26,66,215.00
Pension and Leave Salary	17,57,098.00	12,55,728.00
Medical Exp	5,40,554.00	8,97,473.00
LTC Charge	- 1	5,51,368.00
Employer's Contribution Towards CPF	6,19,852.00	6,76,597.00
Employer's Contribution Towards EPF	36,270.00	
Arrear Salary	-	5,95,065.00
Transportation Allowance	11,873.00	() E
ARREAR DA	1,82,443.00	25
HRA	86,339.00	1,47,168.00
Honorarium	1,05,000.00	1,33,000.00
Bonus	82,896.00	62,172.00
Employer Subscription of Pension	2,19,757.00	2,13,614.00
Leave Encashment	16,11,562.00	7,24,541.00
Total	4,66,63,073.00	4,61,26,509.48

(AMOUNT Rs.)

		(AMOUNT NS.)
Annexure: 9 Other Administration Expenses	CURRENT YEAR (21-22)	PREVIOUS YEAR (20-21)
Contract for Hiring Vehicle	8,86,677.00	7,39,429.00
Imprest Money	3,54,884.00	1,34,459.00
Internet &Data Charges	1,09,671.00	1,01,048.00
News Paper & Magazines	72,904.00	99,977.00
Office Expenses	10,69,195.00	8,75,572.00
Pantry Expenses	79,431.00	45,935.00
Reimbursement of TA/DA		7,588.00
Property Tax Aera Building	-15,00,000.00	
Rates & Taxes	57,601.00	-
Parliamentary Rajbhasha Committee	-5,369,00	2,64,820.00
Training Programme	23,600.00	22,795.00
Total	11,48,594.00	22,91,623.00

MANU SOODEN

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2022 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with section 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act. 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under section 35 (1) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:





A. Balance Sheet Corpus/Capital Fund and Liabilities Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – ₹ 5.83 crore

- (i) AERA has not recognized a liability of ₹ 8.54 crore payable to Airport Authority of India (AAI) as per demand (December 2021) for funds in terms of MoU entered (24 November 2016) among AAI, AERA and others for construction of combined operational office. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Capital Work in Progress by ₹8.54 crore as on 31 March 2022. A similar comment was also raised during the year 2020-21. however, no corrective action has been taken by the management.
- (ii) The above does not include provision for ₹ 9.56 crore on account of the salary of employees of AAI posted in AERA for the period 25 September 2009 to 31 March 2015. This has resulted in understatement of Provisions and Expenditure on Manpower Hiring amounting to ₹9.56 crore. A similar comment was also raised during the year 2020-21, however, no corrective action has been taken by the management

B. Income and Expenditure Account Income Interest Earned (Schedule 17) – ₹0.04 crore

Rule 230 (8) of General Financial Rules 2017 stipulates that all interests or other earnings against Grants in aid or advances (other than reimbursement) released to any Grantee institution should be mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India immediately after finalisation of the accounts. Such advances should not be allowed to be adjusted against future releases. AERA booked interest income amounting to ₹ 0.04 crore earned on term deposit created out of grant fund for the year ended 31 March 2022, which was required to be deposited in the Consolidated Fund of India. This has resulted in overstatement of Income and understatement of Liability by ₹ 0.04 crore.

C. Grants in aid

During the year 2021-22, AERA received a total grant of ₹ 24.00 crore from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of ₹ 1.22 crore as on 01 April 2021 and interest earned on unspent grant was ₹ 0.04 crore. Out of this total grant of ₹ 25.26 crore, AERA could utilize ₹ 20.98 crore only during 2021-22, leaving an unspent balance of ₹ 4.28 crore. (Data as per utilisation certificate submitted to Administrative Ministry).

Annual Report 2021-22

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet

and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this

report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given

to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to

Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned

in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with

accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Airports Economic

Regulatory Authority of India as at 31 March 2022; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended

on that date.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi

Dated: 2\ November 2022

Principal Director of Audit (Infrastructure)

New Delhi





Annexure

(to the Separate Audit Report of Airports Economic Regulatory Authority of India for the year 2021-22)

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal audit has not been conducted for the period 2021-22.

2. Adequacy of Internal Control System

During audit, following deficiency was noticed in internal control system which needs to be strengthened:

(i) Non-claim of refund of TDS amount from the tax authority.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2021-22.

4. System of Physical Verification of Inventory

There was no inventory.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

Statutory dues were paid on time.

	Observation of C&AG	НМ	Reply of the Authority
No		No	
A	Balance Sheet Corpus/Capital Fund and Liabilities Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) - Rs. 5.83 Crore AERA has not recognized a liability of Rs		Airport guthority of India (AAI) in
	8.54 crore payable to Airport Authority of India(AAI) as per demand (December 2021) for funds in terms of MoU entered (24 November, 2016) among AAI, AERA and others for construction of combined operational office. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Capital work in progress by Rs. 8.54 Crore as on 31st March 2022. A similar comment was also raised during the year 2020-21.		Airport authority of India (AAI) is constructing integrated office building at Safdarjung airport for DGCA, BCAS, AERA and AAIB as a deposit work under MoU signed with all these stakeholders on 24.11.2016. AERA, being a stakeholder is required to deposit INR 18.38 crore with AAI in installments based on the progress of construction work.
	However, no corrective action has been taken by the management. The above does not include provision for Rs. 9.56 Crore on account of the salary of employees of AAI posted in AERA for the period 25 September, 2009 to 31st March, 2015. This has resulted in understatement of Provisions and Expenditure or Manpower Hiring amounting to Rs. 9.56 crore. A similar comment was also raised during the year 2020-21, however, no corrective action has been taken by the management.		However, MOCA has allocated funds of Rs. 8.00 crore only as first instalment under capital head for the purpose in the financial year 2021-22. As the remaining funds have not been received, we have disclosed the balance portion i.e. INR 10.38 crore as capital commitment through notes on accounts as per the requirement of Accounting Standards. However, the observation of the Audit has been noted for future compliance.
			The payments towards reimbursement of salary of employees posted in AERA on loan basis were made to AAI as per demands received from AAI from F.Y. 2015-16. MoCA vide letter No. AV(1)29012/13/2018-AD dated 26.03.2018 had directed that the amount claimed by Airports Authority of India as reimbursement on expenditure incurred by them on account of salary of AAI officers since






		2015 may be released. Vide O.M. G(1)20037/4/2021/F.I./MoCA dated 30.03.2022, MoCA further instructed that subsequent payments to AAI are to be strictly released in accordance to the directions of MoCA and no reimbursement of past dues prior to 2015 without prior approval of MoCA shall be made. In view of the above, provisions in books of accounts have been made on the basis of provisional demands raised by the AAI since F.Y. 2015-16 and payments released by AERA against such demands.
В	Income and Expenditure Account Income	
	Interest Earned (Schedule 17)- Rs. 0.04	
	Crore	
	Rule 230(8) of General Financial Rules 2017 stipulates that all interests or other earnings against Grants in aid or advances (other than reimbursement) released to any Grantee institution should be mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India immediately after the finalization of the accounts. Such advances should not be allowed to be adjusted against future releases. AERA booked interest income amounting to Rs. 0.04 Crore earned on term deposit created out of Grant fund for the year ended 31st March, 2022, which was required to be deposited in the Consolidated Fund of India. This has resulted in overstatement of Income and understatement of Liability by Rs. 0.04 Crore.	The matter regarding depositing the interest to the Consolidated fund of India was being taken up with Ministry for quite some time. Ministry vide email dated 31/08/2022 informed the details for depositing the same to the Govt. account and accordingly interest income amounting to Rs. 0.04 crore earned on term deposit for the year ended 31st March, 2022 has been remitted to the Ministry vide this office letter dated 6/09/2022. The observation has however been noted for future compliance.
С	Grants in Aid	
	During the year 2021-22, AERA received a total grant of Rs. 24.00 Crore from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs. 1.22 Crore as on 01 April, 2021 and interest earned on unspent grant was Rs. 0.04 Crore. Out of this total grant of Rs. 25.26 Crore, AERA could	During the year 2021-22,out of total available funds of Rs. 25.22 crore; AERA could utilise Rs. 20.93 crore leaving an unspent balance of Rs. 4.28 crore. The interest earning of Rs. 0.04 crore on unspent grant has been remitted to the Ministry for

utilize Rs. 20.98	Crore only during 2021-	crediting	to	the	Consolidated	fund	of
22, leaving an uns	spent balance of Rs. 4.28	India.					
crore. (Data as	per utilization certificate						
submitted to Admi	inistrative Ministry).						





ANNE	XURE TO SEPARATE AUDIT REPORT	
1.	system Internal audit has not been conducted for the period 2021-22.	The Internal Audit of the Authority is conducted by the Internal Audit Party of Principal Accounts Office, Ministry of Civil Aviation. Due to nationwide Covid 19 lockdown and social distancing norms since March 2020, the entire government Offices came to a standstill position. Probably, Internal Audit Party has therefore not yet visited AERA office for conducting the Annual Internal Audit. However, the Authority has already requested Internal Audit Wing vide letter dated 7.04.2021 to schedule the Internal Audit of the Authority. Reminder letter has also been sent vide this office letter dated 8.10.2021.
2.	needs to be strengthened:	The observation of the Audit has been noted for future compliance. Matter has already been taken up with the accredited bank for refund of
3.	System of Physical Verification of fixed assets. The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2021-22.	
4.	System of Physical Verification of Inventory. There was no inventory	
5.	Regularity in payment of statutory dues. Statutory due were paid on time	

































Few Glimpses of the Special Campaign





























भारत सरकार भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (नागर विमानन मंत्रालय के आधीन सांविधिक निकाय) ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003

Government of India
Airports Economic Regulatory Authority of India
(A statutory body under Ministry of Civil Aviation)
AERA Building, Administrative Complex, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003
www.aera.gov.in